राजनीतिक सुधारों के २५ सूत्रीय कार्यक्रम पर

राजनीतिक सुधारक

श्री भरत गांधी का इण्टरव्यू

नकली समाधान पेश करने वाले लोग समाज के लिए स्वयं एक समस्या हैं। – ऐसा मानना है। श्री भरत गुंधी जी का। श्री गांधी देश के जाने माने राजनीति सुधारक है। उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिख कर हमारा मार्गदर्शन किया है। श्री गांधी 23 साल की उम्र में ही इंसान को सुखी बनाने का रास्ता खोजने के लिये निकल पड़े थे। अपने 18 साल लम्बी इस खोजी यात्रा में उन्होंने इंसान की लगभग हर समस्या का मार्ग निकाल लिया। राजनीति कैसे सुधारे, समाज कैसे सुधारें, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारें, अर्थव्यवस्था कैसे सुधारें, राजव्यवस्था कैसे सुधारें.... आदि सभी विषयों पर श्री भरत गांधी ने अनोखा रास्ता निकाला है। ऐसे रास्ते जिन्हें न तो दुनिया ने कभी सोचा, न सुना और न देखा। गरीबी और गुलामी कैसे खत्म हो; इस विषय में श्री भरत गांधी की किताबें, सीडी व डीवीडी पहले से उपल्बध हैं। आज हम आपकी मुलाकात करायेंगे श्री भरत गांधी से और पूंछेंगे उनसे केवल उन सवालों को जिनसे आज की गंदी राजनीति को सुधारा जा सके।

१ गांधीजी आजकल राजनीति के गिरते चरित्र से लोग बहुत दुःखी हैं। क्या आप भी मानते हैं कि राजनीति का चरित्र गिर रहा है?

भरत गांधी – सबसे पहले तो राजनीति और राजनेता का अंतर समझ लेना जरूरी है। राजनीति गाड़ी की तरह है और राजनेता उसे चलाने वाले ड्राइवर की तरह। राजनीति की गाड़ी में जो इंजन लगा है, उसे संविधान कहते हैं। अगर राजनीति की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। तो यह देखना चाहिए कि खराबी गाड़ी के ड्राइवर में है या खराबी गाड़ी के इंजन में है?

२ क्या आप यह कहना चाहते हैं कि राजनेता लोग राजनीति की गाड़ी के केवल ड्राइवर होते हैं?

भरत गांधी – जी हाँ। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि राजनीति की गाड़ी को नेता अकेले नहीं चलाता; कम से कम चार तरह के लोग मिलकर इस गाड़ी को चलाते हैं। पहले वर्ग में – वे अमीर लोग हैं जो नेताओं को पैसा देकर ''बड़ा नेता'' बनाते हैं। दूसरे वर्ग में अधिकारी वर्ग है जो राजनीति की इस गाड़ी के इंजन की समझ रखता है। तीसरे वर्ग में स्वयं को समझदार समझने वाले बुद्धिजीवी हैं। और चौथे वर्ग में बड़ी पार्टियों के वे कार्यकर्ता हैं जो देखने में तो जनता के प्रतिनिधि दिखाई पड़ते हैं किंतु हकीकत में पार्टी अध्यक्ष की नौकरी कर रहे होते हैं।

३ क्या राजनीति की गाड़ी खराब करने में पैसे वाले लोग, अधिकारी और बुद्धिजीवी भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितने कि नेता?

भरत गांधी – जी हाँ! लेकिन यही बात लोगों को मालूम नहीं; और यही कारण है कि नेताओं को कोसने के बाद भी गत पचास सालों से राजनीति का स्तर गिरता ही जा रहा है। आखिर नकली इंजीनियर गाड़ी को ठीक कैसे करेगा? नकली डाक्टर लोगों को बीमारी से निजात कैसे दिलाएगा?

४ राजनीति को खराब करने में पैसे वालों का दोष क्या है?

भरत गांधी – पैसे वालों का दोष यही है कि वे लोग ऐसे ही नेताओं को चंदा देते हैं जो अत्यंत संपन्न लोगों के लूटमार को जायज ठहराता हो। और इस लूटमार को 'राष्ट्रवाद' कहता हो । पैसे वालों के इस बर्ताव के कारण सरकारी खजाने की लूटमार करने वाले लोग राजनीति के खेत में मोथे की तरह पैदा हो गये। और इमानदार नेता लोग धान की तरह उनके नीचे दब गये। बात तो यहाँ तक बिगड़ी कि इमानदार नेता राजनीति के अखाड़े पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पैसे वालों के दलाल ही जब नेता बन गये, तो राजनीति का चरित्र गिरने से कौन बचाता?

अअतमकम५ किन्तु पैसे वालों का यह अहसान तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन पैसे वालों ने ही छेड़ रखा है। फिर कैसे माना जाए कि पैसे वाले राजनीति का चरित्र गिरा रहे हैं?

भरत गांधी – सांप पालने वालों को जब सांपों ने काट खाया तब सपेरों ने आंदोलन छेड़ा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इन आंदोलनकारियों को अभी भी राजनीति के लिये सज्जनों की नहीं, 'सज्जन सांपों' की तलाश है। ऐसे 'सज्जन सांप' चाहिये, जो उन्हें काटें जिनको काटने के लिये ये सपेरे ललकारें।

६ जहरीले नेताओं को पालने में पैसे वालों का क्या फायदा है?

भरत गांधी – तमाम दंतकथाएं हैं। जिस जमीन में सोना गड़ा होता है, वहां सांप बहुत पाये जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि सांप सोने की रखवाली कर रहे होते हैं। सन 1789 में राजशाही खत्म हुई, लोकशाही आयी। लोकशाही में राष्ट्र की सम्पदा का मालिक राजा नहीं रहा, प्रजा हो गई। हर व्यक्ति प्रजा हो गया। सबकी हैसियत समान हो गई। एक वोट से न कोई बड़ा रहा, न कोई छोटा। राजा–रंक– दोनों एक ही राष्ट्रपिता की संतानें बन गये। राष्ट्रपिता की संतानों को वोटर कहा गया। किन्तु इस प्रजातंत्र में 1789 के बाद आज तक वोटर उस मालिकाना का इंतजार कर रहा है, जो उसे 1789 में मिल जाना चाहिए था। लोकतंत्र में औसत से ज्यादा मिल्कियत को अपना मानते हैं, वे सभी भ्रष्ट होते हैं। चाहे यह मिल्कियत कानूनी हो या गैर कानूनी। चूंकि अमीरों के पास लाखों लोगों के हिस्से की दौलत सोने की तरह गड़ी पड़ी है, इसलिये उसकी रक्षा के लिये उन्हें सर्पीले नेताओं की जरूरत पड़ती है। उन्हें ऐसे नेताओं की दरकार रहती है जो राजसत्ता में काबिलियत की मांग करें और धन की सत्ता में वंशवाद की। जब पैसे वाले लोग चंदा देकर ऐसे ही दलालों को बड़ा नेता बनाते रहेंगे तो इमानदार और न्याय पसंद लोग राजनीति में सफल कैसे होंगे?

७ अगर हम मान लें कि औसत से ज्यादा सम्पत्ति कोई व्यक्ति रख ही नहीं सकता, तब तो भ्रष्टाचार के खिलाफत करने वाले अधिकांश लोग भी भ्रष्ट ही हैं। फिर उनके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ना जरूरी हो जाएगा। क्या आप यही कहना चाहते हैं?

भरत गांधी – आपने ठीक समझा। एक लोकतांत्रिक समाज में जहां जमीन की रजिस्ट्री का कानून हर आदमी मिल कर बनाता है, वहां औसत से ज्यादा सम्पत्ति का मालिक औसत से कम सम्पत्ति के मालिकों का किरायेदार हो सकता है, बटाईदार हो सकता है, रखवाला हो सकता है या ट्रस्टी हो सकता है.....। लेकिन मालिक नहीं हो सकता है। औसत से ज्यादा सम्पत्ति रखने वाला इस बात को नहीं मानता फिर भी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है तो समझिए कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। वह भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहता, वह केवल भ्रष्टाचार पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है।

८ आपने कहा कि राजनीति की गाड़ी को चलाने वाले दल में चार तरह के लोग शामिल होते हैं। दलाल नेता लोग और उनको चंदा देने वाले अरबपति लोग- यह दो तरह के लोग तो समझ में आ रहे हैं। लेकिन राजनीति को पथभ्रष्ट करने वाले तीसरे वर्ग के रूप में आपने अधिकारियों का नाम लिया। इनका दोष क्या है?

भरत गांधी - अधिकारी वर्ग देश के अरबपतियों और उनके पाले हुए दलाल नेताओं को भ्रष्टाचार करने का गुण सिखाता है, यही उसका दोष है। ऐसे करने की प्रेरणा उसे उत्तराधिकार कानून से मिलती है। कानूनों की पढ़ाई करने के कारण वह समझ जाता है कि देश लोकतंत्र के उसूलों पर नहीं चल रहा है बल्कि अरबपतियों के चाबुक से चल रहा है। वह समझ जाता है कि अरबपतियों की ताकत है उत्तराधिकार कानून। इसी कानून के सहारे उनके बच्चे बिना किसी काबिलियत के अरबपति बन जाते हैं और चंदा देकर सभी पार्टियों के अध्यक्षों को अपनी कठपुतली बना लेते हैं। साधारण लोग यह समझते हैं कि देश को नेता और अधिकारी चला रहे हैं। बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि नेताओं को अरबपति लोग चलाते हैं और अधिकारियों को नेता लोग। यह देखकर शासक बनने का हर अधिकारी का सपना टूट जाता है और वह देश चलाने वाली सबसे बड़ी सत्ता यानी अरबपति बनने में लग जाता है।

९ यह बात समझ में नहीं आयी कि उत्तराधिकार कानून अधिकारियों को भ्रष्ट कैसे बनाता है?

भरत गांधी - अधिकारी यह जान जाता है कि इमानदारी से काम करने पर भी वह अपना पद अपने बच्चों को उत्तराधिकार में नहीं दे सकता। किन्तु अगर वह अधिक से अधिक सम्पत्ति जमा करने में कामयाब हो जाए तो सम्पत्ति को अपनी अगली पीढ़ी को उत्तराधिकार कानून के द्वारा दे सकता है। इसीलिए वह काम पर कम ध्यान देता है और पैसा बटोरने पर ज्यादा। अधिकारी ही मंत्रियों का सलाहकार होता है। वह मंत्रियों को समझाता है कि इमानदार मंत्री होने से आपका पद आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, उन्हें चुनाव के अखाड़े में कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इसलिए अच्छा यही है कि काम पर कम ध्यान दीजिए और पैसे पर ज्यादा। वह समझाता है कि इमानदार रहकर के भी एम0 पी0 और एम0 एल0 ए0 का पद उत्तराधिकार में बच्चे को नहीं दिया जा सकता लेकिन बेईमान होकर जमा की गई सम्पत्ति को बच्चे को दिया जा सकता है। यह बात मंत्री को तो समझ में आती ही है साथ ही साथ सांसदों व विधायकों को भी बड़ी आसानी से समझ में आती है। और अंत में जो अधिकारी और जो नेता भ्रष्ट नहीं होता उसकी गिनती बेवकूफों में शुरू हो जाती है।

१० तो क्या आप यह कहना चाहते है कि उत्तराधिकार कानून खत्म किये बिना भ्रष्टाचार रोकना संभव नहीं है?

भरत गांधी - अगर संभव होता तो भ्रष्टाचार अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन उत्तराधिकार कानून से सरकार जो रकम बच्चों को फ्री में देती है, वह रकम कम कर दी जाये तो भ्रष्टाचार कम हो जायेगा, बड़ी कर दी जाये तो भ्रष्टाचार बड़ा हो जाएगा और अगर यह रकम बेलगाम कर दिया जाये तो भ्रष्टाचार भी बेलगाम हो जाता है। इसलिए उत्तराधिकार कानून से फ्री में मिलने वाली रकम की केवल सीमा भी तय कर दी जाये तो बड़े भ्रष्टाचारियों का सफाया हो जाएगा। उस सीमा से ज्यादा पैसा कोई जमा ही नहीं करेगा। उत्तराधिकार की सीमा बनने पर सीमा से ज्यादा दौलत न तो अरबपति जमा कर पाएंगे, न नेता जमा कर पाएंगे और न तो अधिकारी ही। राजनीति की गाड़ी चलाने वाले चालक दल के ये तीन वर्ग

अगर भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे तो राजनीति लोकतंत्र की पटरी पर दौड़ सकती है। और राजनीति का चरित्र ऊंचाई हासिल कर सकता है।

११ राजनीति को गंदी करने में बुद्धिजीवियों का हाथ किस प्रकार है?

भरत गांधी – असली समस्याओं का नकली समाधान प्रचारित-प्रसारित करने का सबसे ज्यादा काम बुद्धिजीवी ही करते हैं। चूंकि बुद्धिजीवी दार्शनिक नहीं होते, इसलिए गहराई में जाकर समस्याओं के आपसी संबंधों को देख नहीं पाते। जीवन भर मुंह की खाते रहते हैं फिर भी वही बातें रटते रहते हैं जिनका गत पचास सालों में कोई असर नहीं हुआ। वे वर्तमान के ज्ञान का प्रचार करते हैं। लेकिन जिन समस्याओं का समाधान वर्तमान ज्ञान में है ही नहीं, उन समस्याओं का समाधान बुद्धिजीवी कैसे कर सकते हैं? इतिहास में देखा गया है कि दार्शनिकों की हर नई बात का समर्थन आम जनता तो करती है लेकिन बुद्धिजीवी उसका विरोध करते हैं। जिस चीज का विरोध करते हैं दस-बीस साल बाद उसी का समर्थन करने लगते हैं। इसलिए राजनीति सुधारने की आशा वर्तमान बुद्धिजीवियों से नहीं की जा सकती।

१२ औसत से ज्यादा सम्पत्ति का मालिक होना यदि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए उत्तराधिकार की सीमा तय करना जरूरी है; तब तो पैसे से ताकतवर कोई भी आदमी भ्रष्टाचार को खत्म क्यों करना चाहेगा? फिर तो नेता और अधिकारी ही नहीं, न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाएंगे क्योंकि उनके पास भी औसत से ज्यादा सम्पत्ति होती है। अधिकांश बुद्धिजीवियों के पास भी सम्पत्ति औसतन ज्यादा होती है। इसलिए इन्हें भी भ्रष्ट ही मानना होगा। गांधी जी! आपने तो भ्रष्टाचार के खात्मे का इतना कठिन रास्ता बता दिया कि इस पर तो कोई चल ही नहीं सकता। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई कभी कामयाब होगी ही नहीं?

भरत गांधी – भ्रष्टाचार के खिलाफ चारों तरफ जो नकली लड़ाई चलती हुई दिख रही है, अगर इन लोगों की चलेगी तो भ्रष्टाचार का खात्मा कभी नहीं हो सकता। जनता की सम्पत्ति को जो लोग दबाए बैठे हैं इनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करने का आंदोलन चला कर सम्पत्ति को मूल स्वामियों तक पहुंचा दिया जाये तो बहुसंख्यक समाज रातों-रात करोड़पति बन जाएगा। जब समाज के 80 प्रतिशत लोगों को लगेगा कि भ्रष्टाचार के खात्मे से वे करोड़पति बन जाएंगे, तो वे सभी लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के असली आंदोलन में शामिल जरूर हो जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कामयाब जरूर होगी।

१३ भ्रष्टाचार के खिलाफ असली व नकली लड़ाई लड़ने वालों को आम जनता पहचाने कैसे?

भरत गांधी – बहुत आसान है। जो भ्रष्टाचार को समस्या मानता हो, उससे दो सवाल करिये। पता चल जाएगा। पहला सवाल – क्या आप औसत से ज्यादा सम्पत्ति रखना गलत मानते हैं। दूसरा सवाल – क्या आप उत्तराधिकार की कानूनी सीमा बनाना सही मानते है? अगर दोनों सवालों का जवाब वह 'हाँ' में देता हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वह असली लड़ाई लड़ रहा है और अगर जवाब 'नहीं' में दे। तो समझो वह नकली लड़ाई लड़ रहा है।

१४ क्या औसत सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति के जो लोग मालिक हैं, उन्हें कानून बनाकर फालतू सम्पत्ति का किरायेदार घोषित कर दिया जाये और उत्तराधिकार की सीमा तय कर दिया जाये, तो राजनीति का गिरता चरित्र ऊंचा उठने लग जाएगा?

भरत गांधी - राजनीति का चरित्र ऊंचा उठाने के लिये ऊंचे चरित्र के लागों के हाथ में राजनीति को सौंपना होगा। औसत सम्पत्ति से फालतू रकम पर का स्वामित्व मान लेने और उत्तराधिकार का कानूनी सीमा तय कर देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा, जो राजनीति सुधारने की अनिवार्य शर्त है। लेकिन ऊंचे चरित्र और ऊंची सोच के लोगों को जब तक सत्तासीन नहीं किया जाता राजनीति का स्तर उठने वाला नहीं है। नीची सोंच के लोग ऊंची राजनीति कैसे कर सकते हैं?

१५ ऊंची सोच के लोग कौन होते हैं, क्या जो ज्यादा पढ़े-लिखे होते हैं या ऊंची डिग्री लिये होते हैं या जिनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ?

भरत गांधी - जरूरी नहीं है कि ऊंची डिग्री का आदमी ऊंची सोंच का भी हो। अब यह बात साबित हो चुकी है- कि ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों ने अपनी बुद्धि का उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने में तो किया है। लेकिन समाज के सामूहिक जीवन को बदतर बनाया है। जिस तरह पढ़े-लिखे लोगों की डिग्रियां अलग-अलग ऊंचाई की होती हैं, उसी प्रकार लोगों के सोंच की उंचाई भी अलग-अलग होती है।

१६ क्या पढ़े-लिखे लोग और सज्जन लोगों में अंतर होता है? पढ़े-लिखे लोग तो डिग्रियों से पहचाने जाते हैं, सज्जन लोगों को कैसे पहचाना जाये?

भरत गांधी - जरूरी नहीं है पढ़ा-लिखा आदमी ऊंची सोंच का भी हो। जो व्यक्ति केवल अपने विकास की बात सोचता हो, वह पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़- समझिए कि वह सोच में प्राइमरी स्तर की ऊंचाई पर है। जो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के विकास की सोचता हो- समझिए कि वह कक्षा आठ पास किया होगा। जो मौहल्ले के विकास की सोचता हो- उसे सोंच में हाई स्कूल की डिग्री वाला समझें। जो अपने गांव ही नहीं, अपनी पूरी ब्लाक की भलाई सोचता व करता हो - समझिए कि वह सोच में कक्षा 12 के स्तर का ऊंचा है। उसे ग्रेजुएट समझिये जो पूरे जिले के विकास की सोचता है। जो व्यक्ति पूरे प्रदेश की भलाई सोचता है, उसे मास्टर डिग्री वाला समझिए। चाहे वह व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित। जो व्यक्ति पूरे देश के विकास की बात सोचता हो - उसे डाक्टरेट की डिग्री वाला समझिए। जो एक चौथाई संसार की भलाई सोचे या आधे संसार की भलाई सोचे या पूरे संसार की भलाई सोचे- उन्हें क्या कहा जाये- ऐसी डिग्रियां - पढ़े-लिखे लोग अभी बनाये ही नहीं हैं।

१७ क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इंसान की सज्जनता भी कई स्तरों की होती है?

भरत गांधी - जी हाँ! जितने ऊंचे स्तर के सज्जन व्यक्ति को आप सत्ता सौंपेंगे, राजनीति का उतना ही ऊंचा स्तर देखने को मिलेगा।

१८ जो व्यक्ति देश से भी बड़े क्षेत्र की भलाई सोचता है, उसे कौन-सी सत्ता दिया जाये? देश की सरकारों के ऊपर तो कोई सरकार होती ही नहीं है। फिर देश से भी बड़ी सोंच के व्यक्ति को कौन-सी कुर्सी सौंपा जाये?

भरत गांधी - वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी सोच सदियों से मौजूद रही हैं। इससे यह पता चलता है कि विश्व स्तरीय सज्जन लोग संसार में हर वक्त मौजूद रहते हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत कम होती है। .....क्षेत्रीय राष्ट्रवादियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय राष्ट्र बना लिये, क्षेत्रीय शासन-प्रशासन बना लिया। विश्व राष्ट्रवादियों की संख्या कम थी, इसलिये विश्व राष्ट्र बनाने का काम अभी भी बाकी रह गया, वैश्विक शासन-प्रशासन बनाने का काम बाकी रह गया। माँ-बाप रूपी विश्व स्तरीय सत्ता को जगह नहीं दिया गया, इसे प्रभुसत्ता पर हमला माना गया। माँ-बाप घर आने लगें तो क्या यह घर की प्रभुसत्ता पर हमला है? यह बात आज सभी को समझने व समझाने की है। जिससे चौथाई विश्व, अर्ध विश्व और संपूर्ण विश्व का शासन-प्रशासन बनाया जा सके और इनकी बागडोर विश्व स्तरीय सज्जनों के हाथ में दी जा सके।

चूंकि विश्व स्तरीय सत्ता संभालने वाले लोग हैं, किन्तु शासन-प्रशासन नहीं बना है इसलिये देश स्तरीय सज्जन व्यक्ति प्रवचन करते फिरते हैं। वे लोग जो बातें बताते हैं वे बातें देश स्तरीय सज्जनों के सिर के ऊपर से गुजर जाती हैं। अगर उन्हें समझ में आती भी है तो उन्हें लगता है कि- ''विश्व स्तरीय सज्जन लोग हमसे ज्यादा सज्जन तो हैं, किन्तु अगर उन्हें सत्ता दी जाएगी तो वह अपनी सत्ता में बंटवारा करने जैसी बात होगी''। घर में बाप के लिये एक कमरा बनवाकर दे दिया जाये, तो क्या उसे घर का बंटवारा कहेंगे?

१९ गांधी जी! आपको लगता है कि देशों की सरकारों में जो लोग बैठे हैं, वे इस बात के लिये तैयार होंगे कि चौथाई संसार की आधे संसार की और पूरे संसार की- तीन और सरकारें बना कर उसमें ज्यादा ऊंची सोच के लोगों को बैठा दिया जाये? क्या देश के अंदर ही साफ-सफाई करके देश की राजनीति का सुधार नहीं हो सकता?

भरत गांधी - यह वैसी ही बात है जैसे यह कहा जाये कि घर के बच्चों को गांव वाले बहला-फुसला कर घर में चोरी करवाते हैं तो करवाने दो, गांव में मार-काट मची है तो मची रहने दो, घर के लोगों की रोटी छीनकर भी दरवाजे पर सबसे मंहगा पहरेदार बैठाओ, गांव में दुर्गन्ध व प्रदूषण फैल रहा है तो फैलने दो, घर साफ-सुथरा रखो, गांव में लोग पेड़ काट रहे हैं तो काटने दो, अपने आंगन में पेड़ लगाओ, दूसरे घरों में चोर उचक्का, ठग, डकैत कोई भी मुखिया बने उससे हमारा क्या लेना-देना बस अपने घर में ऐसे आदमी को मुखिया बनाओ जो गांव के सभी घरों को दु:खी बनाये और उनके घरों का सुख अपने घर में ले आये। दूसरे घरों के लोग पानी और बिजली बर्बाद कर रहे हैं तो करने दो, अपने घर में पानी का नल ठीक रखो, बिजली बचाओ.....। जिस नहर का पानी आपके काम आता है उस नहर को गांव वाले, गांव से काटकर पानी बहा दें तो आपके काम आएगा? लोग बिजली घर में आग लगा दें तो आपके घर में बिजली आएगी? गांव में सब लोग हिंसा पर उतर आयें तो आपका पहरेदार घर बचा पाएगा? मरे जानवरों को आपके घर के पास गांव वाले फेंक दें तो क्या आपकी खिड़कियां दुर्गन्ध को घर में आने से रोक लेंगी? गांव में सबसे अमीर आदमी अपने पहरेदार को जो हथियार देगा, क्या गांव के सभी लोग अपनी रोटी को दांव पर लगाकर भी वही हथियार दे सकते हैं?

अमीर आदमी ने अपना घर जितना मंहगा बनवाया है, क्या गांव के सभी लोग उतना मंहगा घर बनवा सकते हैं? गांव का सबसे अमीर आदमी जिस गाड़ी में चलता है, क्या उसी गाड़ी को गांव का हर

आदमी खरीद सकता है? क्या कर्ज लेकर उतनी मंहगी गाड़ी खरीदना चाहिए? क्या कर्ज लेकर गांव में अमीर आदमी का मुकाबला करने वाले को घर का मुखिया बनाना चाहिए?

इन चीजों पर ध्यान गया इसीलिये गांव में पंचायत बनी, फिर पड़ोसी गांवों को मिलाकर ब्लाक पंचायत बनीं।.... इसी क्रम में पड़ोसी प्रदेशों को मिलाकर देश की पंचायत व देश की सरकार बनी। जिन कारणों से देशों की साझी पंचायत (संसद) बनी। क्या वही कारण पड़ोसी देशों की साझी संसद व सरकार की मांग नहीं कर रहे हैं? जिन कारणों से गांव की पंचायत बनी उन्हीं कारणों से पूरे संसार की पंचायत बनानी होगी। तभी दुनिया से जंगलराज जाएगा और देशों के अंदर की राजनीति सुधर पाएगी।

२० पड़ोसी प्रदेशों को मिलाकर देश की पंचायत बनाना तो संभव हो गया। लेकिन क्या देशों की पंचायत बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है?

भरत गांधी - देशों की साझी संसद बनाना कोई कठिन काम नहीं है, जरूरत इतनी भर है कि साझी संसद व साझी सरकार के फायदों से आम जनमानस को परिचित कराया जाये। ये काम सत्ताधारी लोग नहीं करेंगे, इसे आम आदमियों के समर्थन से बड़ी सोच रखने वाले मुठ्ठी भर लोग ही कर देंगे। ये काम कठिन इसलिए लगता है कि आम लोगों को मालूम ही नहीं है कि धरती की साझी पंचयात बन जाये तो उसके परिवार का क्या फायदा है?

२१ गांधी जी! राजनीति सुधारने के लिये आप अगर प्रदेशों की साझी पंचायत की तरह देशों की साझी पंचायत बनाना जरूरी मानते हैं। तो क्या काम करने से आज का संविधान रोकेगा नहीं? क्या इसमें संविधान और राज्य का ढ़ांचा बदल नहीं जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस काम को करने की अनुमति देगा?

भरत गांधी - धर्म के पवित्र ग्रंथ और राज्य के संविधान में मूल अंतर यह होता है कि धर्म की व्याख्या कोई नहीं कर सकता; लेकिन संविधान की व्याख्या कर सकता है। धर्म किसी व्यक्ति व संगठन को यह अधिकार नहीं देता कि वह धर्म ग्रंथ का जो अर्थ बताये - उसे लोग मानें।

२२ क्या भारत का संविधान अपना अर्थ बताने का अधिकार किसी को देता है?

भरत गांधी - जी हाँ। भारत का संविधान साफ-साफ कहता है कि संविधान में लिखी बातों का अर्थ नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय बताये।

२३ जब देशों की साझी संसद बनाने की बात भारत के संविधान में कहीं भी कहा ही नहीं गया है तो सर्वोच्च न्यायालय देशों की साझी पंचायत के बारे में यह कैसे कह देगा कि साझी पंचायत की बात संविधान में लिखी है?

भरत गांधी - सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के आधार पर बड़े आराम से कह सकता है कि देशों की साझी पंचायत यदि विश्व में भाई-चारा व सद्भाव पैदा करता है तो देशों की साझी पंचायत पूरी तरह संविधान के दायरे में है। जिन देशों के संविधान में भारत के संविधान जैसे प्रावधान नहीं हैं, उन देशों में भी सर्वोच्च न्यायालय देशों की साझी पंचायत को संविधान विरूद्ध इसलिए घोषित नहीं करेगा क्योंकि साझी पंचायत न्याय के उन्हीं सिद्धांतों पर देशों के संविधान बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देकर हर देश का संविधान विवेक के शासन के लिए जगह बनाता है।

२४ क्या आप मानते हैं कि देशों की साझी पंचायत बनाने से संविधान का मूल ढ़ांचा प्रभावित नहीं होगा?

भरत गांधी - अगर आप अपने मकान के ऊपर तीन अन्य मंजिलें भी बना दें तो क्या मकान का मूल ढ़ांचा प्रभावित नहीं होगा? आप कहें या न कहें मकान का मूल ढ़ांचा प्रभावित तो होगा। अब इस नये ढ़ांचे को स्वीकार करना या न करना इस बात पर निर्भर करेगा कि तीन नई मंजिलें बनाने का मकसद क्या है? बने बनाये मकान पर अगर आप बुलडोजर चलाकर गिराना चाहते हैं, इससे मूल ढ़ांचे का नुकसान होगा। लेकिन अगर आप दुमंजिला मकान को पांच मंजिला बनाना चाहते हैं तो इससे मूल ढ़ांचे का विस्तार कहा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय व संसद द्वारा बनाये गये किसी संविधान संशोधन प्रस्ताव को तभी मूल ढ़ांचे के खिलाफ कह सकता है। जब वह प्रस्ताव ढ़ांचे को क्षति पहुंचाता हो।

२५ दुमंजिला सरकार को सीधे पंच मंजिला बनाने का आप प्रस्ताव दे रहे हैं। आखिर शासन की इमारत में तीन मंजिल जोड़ने की बात क्यों कर रहें हैं, शायद एक मंजिल और बनाने की बात करते तो लोग ज्यादा व्यवहारिक मानते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता?

भरत गांधी - किसी रास्ते पर जब सवारियां ज्यादा बढ़ जाती है तो तांगे से काम नहीं चलता, जीप चलानी पड़ती है। जब सवारियां और बढ़ जाती है तो बसें चलानी पड़ती हैं। यात्रियों की संख्या और भी बढ़ जाती है तो रेल चलानी पड़ती है। यात्रियों की संख्या और बढ़ जाती है तो रेल में डिब्बे बढ़ाने पड़ते हैं, इतना ही नहीं एक की बजाय दिन में उसी रास्ते पर कई रेलगाड़ियां चलानी पड़ती है। यात्रियों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो यातायात का ढ़ांचा बदलता जायेगा।

ऐसा सड़कों पर ही नहीं होता; घरों में भी ऐसा ही होता है। जब बच्चों की शादी विवाह होता है तो बहू के लिये कमरे की जरूरत होती है। ये जरूरत पूरी करने के लिए अक्सर छत पर नये कमरे बना दिये जाते हैं। जो काम घरों में होता है, आज वही देश की छत पर करना है। जब देश बना था 33 करोड़ लोग थे, आज (सन् 2010) देश रूपी घर में 117 करोड़ लोग हो गये हैं। जब घरों की छत पर नयी मंजिलें बनाने को बात व्यवहारिक लगती है तो देश की छत पर नई मंजिलें बनाना अव्यवहारिक क्यों है?

२६ लेकिन एक-दो मंजिल बनाने की बात ही क्यों नहीं करते?

भरत गांधी - तीन मंजिल बनाने की बात इसलिए करते हैं कि धरती के सभी लोगों को सिर ढ़कने को छत मिल जाये। अगर हर 40-50 साल पर एक नई मंजिल बना दी गई रहती तो आज सरकार की इमारत तीन-चार मंजिला बन चुकी होती। आज हमें छत पर केवल एक मंजिल ही बनाना पड़ता। एक ही मंजिल बनाने की अपील करना पड़ता। घर की मरम्मत का काम लगातार करते रहें तो काम को इकठ्ठे न करना पड़े। राज्य के विकास का काम सैकड़ों सालों से किया ही नहीं गया। सैकड़ों सालों का काम अब जब इकठ्ठे करना पड़ रहा है तो लोगों को लगता है- ''अरे यह तो बहुत बड़ा काम है''।

२७ आपने कहा कि यह सैकड़ों सालों से राज्य के विकास का काम छूटा पड़ा है। क्या जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ राज्य का भी विकास होते रहना चाहिए था?

भरत गांधी - इंसान की जनसंख्या तो राज्य के विकास की मांग करती ही है। हर नई तकनीकि भी राज्य के विकास की मांग करती है। राज्य को वृक्ष का तना व शाखाएं समझिए- इंसान इस वृक्ष पर लगा हुआ फल है। अगर वृक्ष की शाखाएं कमजोर बनी रहेंगी, कम संख्या में बनी रहेंगी, तना पतला बना रहेगा तो

ज्यादा फल लग भी गये तो ठहरेंगे कैसे, ज्यादा फलों को लटकने की वृक्ष में जगह ही कहां मिलेगी? मानव जाति की जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ी राज्य का विकास उसी अनुपात में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ।

२८ राज्य का लगातार सहज विकास नहीं हुआ, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं?

भरत गांधी - राज्य के ढ़ांचे पर गहन तरीके से उसी समय सोचा गया, जब औद्योगिक क्रांति हुई। यह तकनीकि विस्फोटक युग था। उस समय प्रचलित राजशाही इस नई तकनीकि के सामने बौनी पड़ गई। तकनीकि के स्वामियों के सामने राजा की औकात हवा हो गई। इसलिए राज्य के ढ़ांचे पर सोचने वाले 21 दार्शनिक 16 वीं से 18वीं सदी में ही हुए। इसके बाद राज्य के इंजीनियरों का अकाल जैसा पड़ गया।

दार्शनिक का नाम जीवन काल

राज्य के ढ़ांचे पर विचार करना वैकल्पिक ढ़ांचा तैयार करना किसी नेता व बुद्धिजीवी वर्ग के वश के बाहर की बात है। चूंकि 19वीं व 20वीं सदी में पूरे संसार में कोई बड़ा राजनीतिक दार्शनिक पैदा ही नहीं हुआ इसलिए जनसंख्या तो बढ़ती गई लेकिन उस बढ़ी जनसंख्या को संभाल पाने वाला राज्य का ढ़ांचा नहीं बन पाया। राज्य का पेड़ तो अमरूद जैसा बना रहा है और उसमें फल अधिक संख्या में लग गये जितने आम के विशाल पेड़ में लगते है।

२९ राजनीति सुधारने के लिए आपने उत्तराधिकार की कानूनी सीमा बनाने को कहा। जिससे १०-२० करोड़ से ज्यादा की दौलत कोई व्यक्ति अपने बच्चों को फ्री में न देने पाये। आप इस अधिकार को भ्रष्टाचार का मुख्य प्रेरक मानते हैं। आपने यह भी कहा कि जनसंख्या अब इतनी बढ़ गई है कि प्रदेश और देश की जो दुमंजिला सरकारें चल रही है। इनसे काम नहीं चलेगा। नई जनसंख्या को जगह देने के लिये पांच मंजिला सरकारें पूरे विश्व तक बननी चाहिए। गांधी जी क्या आप को ये नहीं लगता कि केवल नेताओं का चरित्र सुधर जाये तो राजनीति सुधर जाएगी?

भरत गांधी - नेता सुधर जाये तो राजनीति सुधर सकती है। शब्दों में तो ये बात ठीक लगती है। लेकिन इस बात का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ इसलिए नहीं होता कि ये बात कहने व सुनने वाले न तो 'राजनेता' का गहरा अर्थ समझ रहे होते हैं और न तो 'नेता' का। राजनीति का आमतौर पर लोग वही अर्थ लेते हैं जो कुछ राजनीतिक पार्टियां करती हैं और ऊंचे पदों पर काम करते हैं उन्हीं को लोग नेता समझते हैं। यह सच्चाई नहीं है।

३० आपकी नजर में नेता कौन है?

भरत गांधी - नेता वह होता है जिसको लोग अनुकरण करें, जैसा लोग बनना चाहें, जिसकी लोग नकल करें। लोग जिसकी नकल करते हैं अगर वह सुधर जाये तो सभी लोग सुधर जायेंगे। जब लोग सुधर जाऐंगे तो अपने जैसा सुधरे हुए लोगों को वोट देंगे। जब सुधरे लोग चुनाव जीतने लगेंगे तो पार्टियां सुधर जाएंगी। जब पार्टियां सुधर जाएंगी तो सरकार का वह ढ़ांचा बन पाएगा, जो सभी वोटरों की मंशा को पूरी कर सकेगा। लेकिन यह सब तो तभी हो सकेगा, जब वह सुधरे जिसका लोग अनुकरण करते हैं।

३१ लोग किसका अनुकरण करते हैं? क्या लोग राजनीति करने वालों का अनुकरण नहीं करते?

भरत गांधी - जितने लोग राजनीति करने वालों का अनुकरण करते हैं, उससे ज्यादा लोग तो अधिकारियों का अनुकरण करते हैं। जितने लोग अधिकारियों का अनुकरण करते हैं उससे ज्यादा लोग खिलाड़ियों का

अनुसरण करते हैं। फिल्मी कलाकारों का अनुसरण करने वालों की संख्या तो खिलाड़ियों का अनुसरण करने वालों से कई गुना ज्यादा है। समाज के सबसे ज्यादा लोग जिस एक वर्ग का अनुसरण करते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं वह है अमीर वर्ग। ऐसे भी कह सकते हैं कि समाज में बड़ी मुश्किल से 5 प्रतिशत लोग होंगे, जो अमीर वर्ग का अनुसरण नहीं करते होंगे, अमीरों जैसा बनना नहीं चाहते होंगे। इसे प्रतिशत की भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि अमीर वर्ग 100 में से 95 लोगों के नेता होते हैं, शेष बचे 5 प्रतिशत लोगों के नेता होते हैं – फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी, अधिकारी, बुद्धिजीवी और राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेतागण।

३२ क्या आप अमीरों, फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों, अधिकारियों, बुद्धिजीवियों को भी नेता मानते हैं और इन लोगों को भी सुधारना जरूरी मानते हैं?

भरत गांधी – इन सभी वर्गों में से कौन समाज के कितने प्रतिशत लोगों का नेता है, यह मैं बता चुका हूँ। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, केवल राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता सुधर जायेंगे तो राजनीति का एक प्रतिशत जो ज्यादा सुधार संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि राजनीति कैसी होगी; लोकतंत्र में पूरा समाज ये बात तय करता है, केवल पार्टियों के बड़े नेता और उनको अनुकरण करने वाले समाज के एक प्रतिशत लोग ही ये बात तय नहीं करते।

३३ जब राजनेताओं के सुधरने पर भी ९९ प्रतिशत राजनीति की गंदगी बनी ही रहनी है तो फिर राजनेताओं को सुधारने की आवाजें चारों तरफ क्यों गूंज रही हैं?

भरत गांधी – दरअसल राजनेताओं को हर खराबी के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले लोग अखबारों और टीवी चैनलों पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, जितना भरोसा उन्हें नहीं करना चाहिए। राजनेताओं और मीडिया के बीच दरअसल अंदरखाने वर्ग संघर्ष है। ये दोनों चूहे-बिल्ली की तरह हैं। अखबार और टीवी चैनल – दोनों चीजें चलाने के लिए अरबों रूपये की जरूरत पड़ती है। इतने पैसे का इंतजाम केवल बड़े अमीर व बड़े पूंजीपति ही कर सकते हैं। इसलिए मीडिया के मालिक चाहते हैं कि अखबार और चैनल समाज को ये बताते रहे हैं कि पैसा जमा करके रखने वाले बड़े सज्जन हैं और गरीब व मध्य की मांगों को पूरा करने वाले राजनेता वर्ग सस्ती लोकप्रियतावान और 'राष्ट्र' को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। पूंजीपति बिल्ली की तरह चोरी से जनता का दूध पी जाता है लेकिन इस खबर को मीडिया में आने से रोकता है। मीडिया में जनता के फटे कपड़ों को दिखाकर जनता को ये बताता है कि देखो ये नेता रूपी चूहों ने तुम्हारे कपड़े कुतर डाले। अधिकांश बुद्धिजीवी चूहे-बिल्ली की इस लड़ाई को समझ नहीं पाते और बिल्ली की आवाज में आवाज मिलाकर तेज शोरगुल करते हैं और ऊंची आवाज में जनता को बताते हैं कि चूहों को पकड़ो, मारो देखो तुम्हारे कपड़े कुतर रहे हैं।

३४ क्या आप मानते हैं कि अमीर वर्ग और बुद्धिजीवी मिलकर एक साजिश के तहत राजनेताओं को बदनाम किये हैं और राजनेताओं के सुधरने मात्र से राजनीति नहीं सुधर सकती?

भरत गांधी – अगर राजनेताओं को कोसने से राजनीति सुधरती तो गत 50 सालों में सुधर गई रहती। आखिर हर कवि सम्मेलन में नेता कोसे जा रहे हैं। हर अखबार में राजनेता कोसे जा रहे हैं। हर टीवी चैनल पर राजनेता कोसे जा रहे हैं। यहां तक कि हर राजनेता राजनेताओं को कोस रहा है।

३५ राजनेताओं को और लोग कोसें, आलोचना करें तो बात समझ में आती है। राजनेता लोग खुद राजनेताओं को क्यों कोसते हैं?

भरत गांधी - जिससे मीडिया के मालिकों को और बुद्धिजीवियों का तुष्टीकरण हो सके और उन्हें बेवकूफ बनाया जा सके। राजनेता लोग ये बात जानते हैं कि नेताओं को कोसने से उनकी खिलाफत करने से फ्री में खबरें छपती हैं और मीडिया के मालिक लोग खुश होते हैं।

३६-३७ फिर भी क्या आप मानते नहीं कि राजनेता बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन हो गये हैं?

भरत गांधी - मैंने पहले ही कहा कि नेता जैसे भी हैं समाज के 1 प्रतिशत से ज्यादा लोग नेता बनने की लाइन में ही नहीं हैं। अगर राजनेता चरित्रवान हो जायें तो ज्यादा से ज्यादा उनका अनुकरण करने वाले, उनका कैरियर अपनाने वाले एक प्रतिशत लोग ही तो चरित्रवान बन पाएंगे। आखिर हमें 100 प्रतिशत लोगों को चरित्रवान बनाने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? 95 प्रतिशत लोगों में नेता यानी अमीर वर्ग क्या चरित्रहीन नहीं है? क्या अधिकारी वर्ग चरित्रहीन नहीं है? क्या फिल्मी कलाकार चरित्रहीन नहीं हैं? क्या खिलाड़ी चरित्रहीन नहीं हैं? अगर हमें चूहे-बिल्ली के खेल में बिल्ली की तरफ शामिल होना है तो बात अलग है, अगर हमें वास्तव में राजनीति का सुधार करना है तो राजनेताओं को चरित्रवान बनाने की नहीं सोचना चाहिए; अमीर वर्ग को चरित्रवान बनाने की सोचना चाहिए, अधिकारी, फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी और बुद्धिजीवी वर्ग को भी चरित्रवान बनाने की सोचना चाहिए। राजनीति तभी सुधरेगी।

३८ क्या चरित्रहीन नेताओं को ही अब लोग नेता मान लें?

भरत गांधी - यह टीवी चैनलों का जमाना है। इस जमाने में कोई व्यक्ति चरित्रवान रह तो सकता है लेकिन चरित्रवान दिखना उसके वश में नहीं। यह बात टीवी चैनलों के वश में है। चैनल जब चाहें किसी को चरित्रहीन दिखा दें। इसलिए कौन चरित्रवान नेता है और कौन चरित्रहीन- यह पहचानना जनता के वश से बाहर की बात है। क्योंकि जनता के पास कोई टीवी चैनल नहीं है। अब तो नेताओं को उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी की डाक्टरों को मिलती है। डाक्टर चाहे बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, भोगी-विलासी हो, चरित्रवान हो या चरित्रहीन लोग केवल इतना देखते हैं कि वह बढ़िया इलाज करता है या नहीं।

३९ आप यह कहना चाहते हैं कि नेता को चरित्रहीन ही होना चाहिए?

भरत गांधी - अमीरों के नेता तो चरित्रवान होने चाहिए। क्योंकि उनके पास पैसा होता है। अगर कोई टीवी चैनल फर्जी तरीके से किसी नेता को चरित्रहीन दिखा देता है तो अमीर लोग दूसरे टीवी चैनल के सहारे प्रचार करके अपने नेता की इज्जत बचा लेंगे। लेकिन गरीब कैसे बचाएंगे। इसके लिए अरबों रूपये कहां से लाएंगे?

४० गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग ललकार रहे हैं उनको आप चूहे-बिल्ली के वर्ग संघर्ष में बिल्लियों की सेना मानते हैं। आप ये भी मानते हैं कि राजनीति सुधारना इनके वश के बाहर की बात है। मानना है कि राजनीति को गंदी करने वालों में ये लोग भी शामिल हैं। आप ये भी मानते हैं कि ये लोग जनता की असली समस्याओं का नकली समाधान प्रचारित कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर

रहे हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो वर्ग संघर्ष से ऊपर उठकर वाकई राजनीति का सुधार कर रहे हैं। अगर कुछ लोग हैं तो आम जनता उनको पहचाने कैसे?

भरत गांधी - राजनीति का सुधार जो भी करना चाहेगा उसका कोई न कोई वर्गीय हित जरूर होगा। हम तो असली सुधारक उसी को मानते हैं जो पूरी मानव जाति के एक-एक सदस्य के जीवन में सुख और आनंद भरने के लिए राजनीति सुधारना चाहता हो। अगर उसके ध्यान में पूरी मानव जाति नहीं है, तो वह एक वर्ग के लिए राजनीति सुधारेगा और दूसरे वर्ग के लिए बिगाड़ देगा।

४१ क्या आप कुछ उदाहरण देंगे, जहां किसी एक वर्ग के लिए राजनीति सुधारा गया हो और दूसरे वर्ग के लिए बिगाड़ दिया गया हो?

भरत गांधी - 1789 की फ्रांस की क्रांति का ही उदाहरण ले लीजिए। उस समय रूसो से प्रेरणा लेकर राजनीति को सुधारने की एक क्रांति हुई। सोचा यह गया था कि राजशाही के बाद जनता के हाथ में मालिकाना आ जाएगा। लेकिन उसी समय जागीरदारों का वर्ग सक्रिय हो गया। उसने राजशाही के दौरान राजा से जो जमीन-जागीर में उपहार स्वरूप पाया था, उस जमीन पर 1789 की क्रांति के बाद भी कब्जा बनाये रखा। जमीन पर कब्जा दिये बगैर जनता को 'देश का मालिक' घोषित कर दिया। उस समय के बुद्धिजीवियों ने वोट का अधिकार देकर ही लोगों को समझा दिया कि आज से समझो कि - ''तुम मालिक हो गये''। वोटर 1789 से आज तक सैकड़ों पार्टियां बदलकर यह तलाश रहा है कि वह मालिक किस चीज का है? क्रांति के बाद जनता के हक में राजनीति को सुधारा जाना था, लेकिन राजनीति सुधरी जागीरदारों के हक में। जनता को आज फिर से वही 1789 वाली लड़ाई लड़कर अपने हक में राजनीति सुधारनी पड़ रही है। 1789 क्रांति के बाद पूरे संसार में पैदा हुए अवैध जागीरदार ही बाद में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिक बने।

४२ फ्रांस की १७८९ की क्रांति वास्तव में राजनीतिक सुधार की क्रांति थी। लेकिन वह वोटर वर्ग की बजाय जागीरदारी वर्ग के पक्ष में झुक गई। क्रांति के बाद जागीरदार वर्ग के लिये राजनीति सुधरी लेकिन वोटर वर्ग के लिये राजनीति बिगड़ गई। इसीलिए वोटर वर्ग को आज २०० साल बाद फिर से राजनीति सुधारने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिससे वोटरों को राष्ट्र की असली सत्ता यानी सम्पत्ति पर मालिकाना हक मिल सके। फ्रांस का जो उदाहरण तो समझ में आता है, कोई भारत का उदाहरण देंगे?

भरत गांधी - भारत में 1947 के पहले ब्रिटिश लोगों का शासन था। उस समय राजनीति सुधार का मुख्य मुद्दा था- ब्रिटिशर्स को भगाओ, देश के लोगों के हाथों में देश का शासन लाओ। अंग्रजों के जाने के पहले यही कहा जाता था कि अंग्रेज गंदी राजनीति कर रहे हैं। भारत के लोग ही साफ सुधरी राजनीति कर सकते हैं। जब भारत के लिए 1947 के बाद कुर्सी पर बैठे, तो जिस पार्टी की सरकार बनी वे लोग कहने लगे कि अंग्रेजों के जाने से राजनीति सुधर गई। जिन लोगों की सरकार नहीं बन पायी वे लोग फिर राजनीति सुधार का जंग छेड़ दिये। भारत के कम्युनिस्ट भारत के दक्षिणपंथी और डॉ0 राम मनोहर लोहिया व उनके साथी राजनीति सुधार की लड़ाई उसी समय से आज तक लड़ रहे हैं। जब तक अंग्रेज जैसी एक ताकत भारत के स्थानीय लोगों को लड़ने के लिये थी तब तक तो भारतीय समाज के अंदर जो वर्ग संघर्ष था, वह दिखाई नहीं पड़ता था। अंग्रेजों के जाने के बाद दिखने लगा अब क्षेत्र, भाषा, नस्ल, सम्प्रदाय,

जाति और अमीरी-गरीबी के आधार पर तमाम वर्ग दिखाई पड़ने लगे। 1998 आते-आते 40 सालों में हर जाति के अमीर लोगों में आपसी वर्ग संघर्ष छिड़ गया। जिसे जातिवादी राजनीति का नाम दिया गया। निचले पायदान पर मानी जाने वाली जातियों के अमीरों ने उच्च पायदान के अमीरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे जनता को यह समझाए कि ऊंची जातियों के अमीर लोग गंदी राजनीति करते हैं, अगर निचले पायदान की जातियों के अमीरों को सरकार चलाने का मौका मिले तो साफ-सुधरी राजनीति पैदा होगी। फिर ऊंचे पायदान की जातियों के अमीरों ने भारत के समाज का पंथ व धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कराके यह कहा कि मुसलमानों को खुश करने वाले लोग गंदी राजनीति करते हैं। अगर हिन्दुओं को राज करने के लिए मिल जाये तो अच्छी राजनीति पैदा हो जायेगी। न तो निचली जातियों के अमीर साफ-सुथरी राजनीति दे पाये और न तो हिन्दुओं के अमीर ही दे पाये। इसका परिणाम यह हुआ कि देश की जनता दुखी होकर फिर से अपनी उसी पुरानी साइकिल पर सवार हो गई जिस पर वह अंग्रेजों को भगाने के बाद सवार हुई थी। बीमार राजनीति को सुधारने का दावा करने वाले एक नकली डाक्टर को दूसरे नकली डाक्टर ने हटाया। भारत में बनी केन्द्र व राज्य सरकारों पर एक के बाद एक नकली डाक्टरों का आना जाना लगा रहा। देश के लोगों की दुर्दशा बढ़ती गई। जहां 1947 में 32 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में छटपटा रहे थे 60 साल बाद 2010 में छटपटाने वालों की संख्या बढ़कर 77 करोड़ हो गई। लोगों की दुर्दशा को कहां-कहां तक गिनाये दुर्दशा गिनाने में तो हमारे देश के नेता और बुद्धिजीवी ही बहुत हैं।

४३ आप यह मानते हैं कि राजनीति को जिस तरह से सुधारने की कोशिश अतीत में की गई, वह तरीका ही ठीक नहीं था। आप का तरीका क्या है? उत्तराधिकार के सीमांकन और पंच मंजिला शासन के अलावा राजनीति सुधारने के लिए और कौन-कौन सी बातें आप जरूरी मानते हैं?

भरत गांधी - एक बहुत बड़े कवि हुए थे उनका नाम है- मैथिलीशरण गुप्त। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है- ''जलाओ दिये, तो रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाये''। राजनीति का सुधार करने वालों ने इस कविता को ध्यान रखा होता तो राजनीति सुधारने के नाम पर उसे बिगाड़ते नहीं। राजनीति सुधारने वालों ने अपने घर का दिया जलाया व दूसरे के घर का दिया बुझा दिया। समाज के अधिकांश लोगों को गरीब, निकम्मा, पिछले जन्म का पापी, नाकाबिल, विदेशी, गैर..... कहकर उनके घरों का तेल चुराया और अपने घरों में दिया जलाया। चूहों को खा-खाकर बिल्ली ने अपने शरीर के विकास का प्रदर्शन किया। विकास को नापने वाले भी बिल्लियों के रिश्तेदार थे। उन्होंने मरे हुए चूहों को नहीं गिना। वजन नापने वाली मशीन पर बिल्लियों को खड़ा करके आगे बढ़ती हुई सुई लोगों को दिखाया।

४४ क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों के विकास की कीमत पर कुछ दूसरे लोगों का विकास हुआ। यदि ऐसा हुआ भी तो आपके पास सबका विकास करने का उपाय क्या है?

भरत गांधी - असली व न्यायपूर्ण विकास तो तभी माना जाएगा, जब वृक्ष की जड़, तने, हर एक शाखा, प्रशाखा, प्रत्येक टहनी यहां तक कि हर एक फल का विकास करने की योजना हो। दुनिया में देशों की जो 200 सरकारें हैं ये मानव जाति रूपी जो वृक्ष है उसकी लगभग 200 डालों जैसी हैं। संसार यह देख ही नहीं पा रहा है कि इस वृक्ष की ये प्रशाखाएं कुछ गिनी-चुनी शाखाओं से जुड़ी है और ये गिनी-चुनी शाखाएं वृक्ष के एक ही तने से जुड़ी है। जमीन पर मिट्टी ज्यादा जमा हो जाए और तने व डालें मिट्टी

से ढ़क जायें तो लोग एक ही वृक्ष की डालों को अलग-अलग पेड़ समझ बैठेंगे। देशों की सत्ता एक ही परम सत्ता से जुड़ी है। किन्तु न कोई राजनीतिक दार्शनिक ठीक से दिखा पाया और न लोग देख पाये। इसीलिए दकियानूस राष्ट्रवादियों के हाथों में देशों की सत्ता गई। उन्होंने अपनी शाखा को खाद पानी देने के लिए उसी पेड़ की दूसरी डालों को काटना व उसे सड़ाकर खाद पैदा करने के काम में लग गये।

ये गलती भविष्य में न हो। इसीलिए हम संसार से पूरे वृक्ष को पहचानने की अपील कर रहे हैं। और यह कह रहे हैं कि केवल देश के विकास की रट मत लगाए रहिए- राज्य का ढ़ांचा सुधारिये और वृक्ष के हर एक अंग के लिए खाद-पानी व सुरक्षा का प्रबंध करिये। इसी वजह से हम हर व्यस्क व्यक्ति को सरकार से बिना कोई काम किये नकद देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मानव रूपी वृक्ष में डालों की सुरक्षा तो जरूरी है, फलों की सुरक्षा भी उतना ही आवश्यक है। इंसान फल है, गांव टहनियां हैं, जिले व प्रदेश प्रशासन प्रशाखाएं हैं। देश शाखाएं हैं, विश्व की अनिर्मित सरकार मानव जाति रूपी वृक्ष का तना है। इन सब के लिए जब तक बजट का कुछ न कुछ हिस्सा आवंटित नहीं होता, तब तक वृक्ष की एक डाल काटकर दूसरी डाल के लिये खद बनाने का नकली विकास संसार में चलता रहेगा। जब तक यह चलेगा, तब तक किसी तरह के वास्तविक राजनीतिक सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती।

४५ देश का बजट तो होता है, प्रदेशों की सरकारों का बजट भी होता है, क्या हर एक व्यक्ति के लिये भी बजट का इंतजाम करना चाहते हैं?

भरत गांधी - जी हाँ। इसी को मैं वोटरशिप या 'मतदातावृत्ति' कहता हूँ। आखिर पेड़ फलों के लिये ही तो लगाया जाता है। अगर कोई किसान पेड़ की सब चीजों की सुरक्षा का प्रबंध तो करे, लेकिन फलों को गैर, निकम्मा, सजायाफता, निर्बल, प्रतियोगिता में पिछड़ जाने वाला..... कहकर झाड़ दे तो ऐसे किसान को समझदार कैसे कहेंगे? इसीलिए हमने उत्तराधिकार के सीमांकन व पंच मंजिला शासन व्यवस्था के अलावा राजनीति सुधारने का महत्वपूर्ण तरीका यह बताया है कि हर व्यस्क इंसान को राष्ट्र की औसत आमदनी का कुछ हिस्सा हर महीना उसके खाते में बिना कोई परीक्षा लिये व बिना कोई काम कराये सरकार डाले। हम सरकार की परिभाषा भी यही करते हैं, कि जो सरकार बिना काम के वोटरशिप की रकम दे वही अपनी सरकार है जो न दे वह गैरों की सरकार है, हमसे काम कराने वाली ठेकेदार है, सरकार नहीं। इसी वोटरशिप की रकम को हम व्यक्तियों का बजट कहते हैं।

४६ क्या हमें आप विस्तार से बतायेंगे कि हर आदमी को बिना काम कराये कुछ पैसा वोटरशिप के नाम से क्यों मिलना चाहिए? हर महीना कितना पैसा मिलना चाहिए? यह देने के लिए सरकार पैसा कहां से इकठ्ठा करेगी? क्या ये पैसा पाकर लोग निकम्मे नहीं हो जाएंगे? इस पैसे को घर-घर पहुंचाने में भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या यह सब संभव भी है?

भरत गांधी - आपको याद होगा कि आप पिछले इण्टरव्यु में ये सभी सवाल कर चुके हैं। इन सभी सवालों का हम जवाब दे चुके हैं। वोटरशिप के प्रस्ताव को 137 सांसदों ने भारत की संसद में पेश भी किया है। संसद ने भी इस पर बहुत काम किया है। आप संसद से स्वयं जानकारी ले सकते हैं। इन सवालों पर हमारी तमाम किताबें छपी हैं। उनको मंगाकर आप पढ़ सकते हैं। फिर भी आप मेरी जुबान से ही इन सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं तो पहले वोटरशिप पर जो इण्टरव्यु हुआ था, उसकी 'वोटरशिप क्या है' नामक सीडी, डीवीडी मंगाकर अपने टेलिविजन सेट में लगाकर देख लीजिए।

४७ फिर भी आप केवल इतना बता दीजिए कि लोगों को हर महीना वोटरशिप के नाम से जो नकद रकम आप सरकार से दिलाना चाहते हैं उसके पीछे मूल मक्सद क्या है?

भरत गांधी - इसके पीछे मूल मक्सद है समाज पर से पैसे वालों का शासन खत्म करके असली सत्ता का शासन कायम करना।

४८ असली सत्ता कौन है?

भरत गांधी - हर आदमी जब जन्म लेता है तभी कोई न कोई काम उसको प्रकृति के उन्हीं नियमों से आवंटित हो जाता है, जो नियम बच्चे के रूप, रंग, लिंग.... आदि चीजों को तय करते हैं। जो काम लोगों को जन्म के साथ ही आता है इसे कम्पयूटर की 'चिप' की तरह समझें। असली सत्ता इंसान पर इसी 'चिप' के सहारे शासन करती है। पैसे वाले इंसान 'करैंसी नोट' के सहारे शासन करते हैं। जब करैंसी नोट सबके पास हो जाएगा, तो पैसे वालों का समाज पर से बलात् शासन समाप्त हो जाएगा।

४९ समाज पर से पैसे वालों का बलात् शासन खत्म करना भी क्या आप राजनीति को सुधारने का एक एजेण्डा मानते हैं?

भरत गांधी - जी हाँ। महत्वपूर्ण एजेण्डा मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को भोग-विलास और वैभव चाहिए वे लोग पैसे वालों की गुलामी करें। लेकिन जिनको केवल रोटी-कपड़ा-मकान चाहिए, वे लोग वह काम करें जिसे करने के लिए उनकी अंतरात्मा यानी असली सत्ता उन्हें कहे। आज तो हालात उल्टे हैं। उत्तराधिकार कानून के कारण भोग-विलास और वैभव तो लोगों को बिना कोई काम किये मिलता है और रोटी के लिए कठोर काम करने की शर्त रखी गई है। वोटरशिप इस विडम्बना को समाप्त कर देगी।

५० राजनीति सुधारने के लिए वोटरशिप व पंच मंजिला शासन के अलावा और कौन-सी बातें आप जरूरी मानते हैं?

भरत गांधी - हम मानते हैं कि उत्तराधिकार की सीमा बनाकर 'दक्षिणाधिकार' के नाम से हर माँ-बाप को एक नया अधिकार भी दे दिया जाये। हम मानते हैं कि लोग अपनी उन आस्थाओं के साथ जीवित रह सकें, जिनके कारण दूसरों को क्षति नहीं पहुंचती। इसके लिए हम मानते हैं कि संसार के हर समुदाय की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो पॉवर की तरह ही थीटो पावर को मान्यता दिया जाये। हम मानते हैं कि देशों के ऊपर जो तीसरे मंजिल की सरकार बने, उसे गांवों की विकास समितियों के लोग अपनी वोट से बनाये, जो चौथे मंजिल की सरकार बने उसे परिवारों के मुखिया अपनी वोट से बनायें और जो पांचवें मंजिल की सरकार बने उसे हर व्यस्क व्यक्ति अपनी वोट से बनाये। इस तरीके का शासन जब बन जाएगा तो हर एक गांव को, हर एक परिवार को, और हर एक व्यक्ति को अपना विकास करने वाली वास्तव में सक्षम सरकार मिल जाएगी। इससे धरा पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां अंधेरा रह जाये।

५१ देशों के ऊपर जो तीन नई सरकारें आप बनाना चाहते हैं क्या आपने उनका कोई नामकरण किया है?

भरत गांधी - जी हाँ। पड़ोसी देशों की साझी सरकार को हम हिंदी में वतन की सरकार कहते हैं। दो वतनों की साझी सरकार को हिंदी में प्रराष्ट्रीय सरकार कहते हैं और विश्व के दो प्रराष्ट्रों की संसार की एकमात्र साझी सरकार को हम राष्ट्रीय सरकार कहते हैं।

५२ देश के ऊपर की तीन सरकारों का अंग्रजी में क्या नाम रखा है?

53 भरत गांधी – देशों की साझी सरकार को क्वानेशनल, वतनों की सरकार को हेमीनेशनल और विश्व की साझी सरकार को नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं।

५४ देश की सरकार का चुनाव जिस तरह आज होता है क्या उसमें भी कोई सुधार आप पेश कर रहे हैं?

भरत गांधी – जी हाँ। हम चाहते हैं कि देश भर के ब्लाक प्रमुख मिलकर देश के किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री चुनें। जिससे देश के प्रधानमंत्री का मुख्य काम हो देश भर की ब्लॉकों के विकास के लिए धन का व ..... का प्रबंध करना।

५५ देशों की साझी सरकार क्या काम करेगी?

भरत गांधी – जितने देशों की वह साझी सरकार होगी, उन सभी देशों के गांवों का विकास करने के लिए धन उपलब्ध कराएगी।

५६ वतनों की साझी सरकार को आप हेमीनेशनल सरकार कहते हैं। यह हेमीनेशनल सरकार क्या करेगी?

भरत गांधी – हेमीनेशनल सरकार दो वतनों के सभी परिवारों को परिवार के विकास के लिये धन उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार नेशनल सरकार संसार के सभी लोगों को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नियमित कुछ न कुछ धनराशि उपलब्ध कराएगी।

५७ देश में कोई नया प्रदेश और उसकी एक नई सरकार बनानी हो तो दर्जनों साल आंदोलन चलता है। फिर जाकर एक नये प्रदेश की सरकार बनती है। पड़ोसी देशों की साझी सरकार, फिर ऐसे दो वतनों की साझी प्रराष्ट्रीय सरकार और सबसे ऊपर पूरी धरती की एक साझी राष्ट्रीय सरकार बनाना तो बहुत बड़ा काम है। ये पंच मंजिला शासन कैसे बनेगा, कब तक बनेगा? यह काम केवल भारत के लोगों व भारत की सरकार के वश के बाहर की बात भी है, दूसरे देशों की सरकारें न मानें तो कैसे बनेगा पंच मंजिला शासन? अमीर भाई अपने सगे गरीब भाई से साझात करने को तैयार नहीं होता तो पूरे संसार के अमीर देश गरीब देशों के साथ साझात क्यों करेंगे?

58 भरत गांधी – पंच मंजिला शासन बनाकर असली सत्ता, असली राजा, असली सरकार, असली शासन, असली लोकतंत्र, असली नागरिकता, असली रोजगार, आजाद मानव समाज पैदा करने का काम दूर से देखने से बहुत कठिन लगता है। लेकिन यह काम आसानी के साथ कैसे किया जा सकता है, इस पर 'वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो' के नाम से मैंने एक किताब लिखी है। 'विश्व परिवर्तन की ओर' नाम की मेरी किताब में इस तरह के उतने सवालों का जवाब दिया गया है, जितने सवालों की एक साधारण बुद्धिजीवी के लिये कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर भी अगर आप मेरी जुबान से ही सुनना चाहते हैं कि पंच मंजिला सरकार बनने से लोगों को क्या फायदा होगा और यह मुश्किल काम आसानी से होगा कैसे? तो आपको– 'वीजा तोड़ो– दुनिया जोड़ो' नाम से बने मेरे इण्टरव्यु व प्रवचन की सीडी या डीवीडी मंगाकर देखना चाहिए। आज जिस विषय पर इण्टरव्यु ले रहे हैं, उसी पर बनें रहें तो अच्छा होगा। वैसे आपकी मर्जी आप तो जो भी पूछेंगे मुझे तो जवाब देना है।

५९ ठीक है। हम आज के सवालों को हम राजनीति सुधारने के आपके उपायों के दायरे में ही रोकते हैं। आपने अबसे कुछ ही देर पहले दक्षिणाधिकार कानून बनाने की जरूरत बताई थी। उत्तराधिकार की बात तो लोग समझते हैं। ये दक्षिणाधिकार क्या है?

भरत गांधी - बाप की दौलत बच्चों को मिले तो इसे उत्तराधिकार कहते हैं। इसके विपरीत बच्चों की दौलत का एक तयशुदा अंश माँ-बाप को मिले तो हमने इसका नाम दक्षिणाधिकार कहा है। अंग्रेजी में इसके लिए एक नया शब्द बनाया है- आउटहेरिटेंस (out heritance) ।

६० दक्षिणाधिकार से लोगों का क्या फायदा है?

भरत गांधी - किसी भी बच्चे की सफलता में उसके सभी भाइयों-बहनों, माँ-बाप और अतीत एवं वर्तमान समाज का भी हाथ होता है। किन्तु पूरे संसार में एक अंधविश्वास यह प्रचारित कर दिया गया कि सफलता के लिए सफल होने वाला व्यक्ति अकेले ही जिम्मेदार होता है। उसकी प्रतिभा व परिश्रम उसे सफलता दिलाती है। इस अंधविश्वास के कारण माँ-बाप, भाई-बहनों और समाज का लाभांश उनको पास नहीं पहुंच पाता। समाज में चौतरफा जो गरीबी व आर्थिक विषमता दिखाई पड़ रही है उसके पीछे बड़ा कारण यह अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास के कारण लगभग हर व्यक्ति को बुढ़ापे में अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है, जबकि उसी समय उसे सबसे ज्यादा मान-सम्मान की जरूरत होती है। सफलता के पीछे केवल सफल व्यक्ति की प्रतिभा व मेहनत का ही हाथ होता है यह अंधविश्वास जवानी में जिसको फायदा पहुंचाता है, उसे भी बुढ़ापे में सताता है।

६१ दक्षिणाधिकार कानून माँ-बाप, भाई-बहन और समाज को किस प्रकार उनका हिस्सा दिला सकेगा? क्या होगा इस कानून में?

भरत गांधी - इस कानून में ऐसे प्रावधान किये जाने चाहिए जिससे हर व्यक्ति की आमदनी व सम्पत्ति के कुछ हिस्से पर माँ-बाप का मालिकाना होना चाहिए। जब तक माँ-बाप जीवित रहें तब तक इस आमदनी व सम्पत्ति पर उनका मालिकाना हक बरकरार रहना चाहिए। माँ-बाप की मृत्यु के पश्चात यह सम्पत्ति सभी बच्चों में समान रूप में बंट जानी चाहिए।

६२ दक्षिणाधिकार से परिवारों में तो सुधार संभव है, परन्तु इससे राजनीति कैसे सुधरेगी?

भरत गांधी - माँ-बाप का हिस्सा जब बच्चे मान लेंगे तो पिता तुल्य पूरी धरती की राष्ट्रीय सरकार का हिस्सा देशों की सरकारों के लिए मानना आसान हो जाएगा। माँ-बाप से सब कुछ पाते हैं- बच्चे। यहां तक कि जीवन उन्हीं से पाते हैं। लेने के लिए उत्तराधिकार कानून बनाया, लेकिन माँ-बाप को देने के लिए दक्षिणाधिकार कानून पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। अपने स्वार्थ में जो कुछ बच्चों ने किया यही काम देशों की सरकारों ने भी किया। इन सरकारों ने धरती से सब-कुछ लिया, यहां तक कि उसी पर यह देश खड़े हैं लेकिन धरती की देखरेख के लिए उसे एक सरकार तक नहीं दिया। कहते हैं हमारी सर्वोच्चता पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा।

६३ मतलब यह हुआ कि जैसे आयकर विभाग लोगों की आमदनी में से अपना हिस्सा हर माल पर लेता रहता है, उसी प्रकार माँ-बाप का हिस्सा भी कटता रहे और अंत में सभी बच्चों में बराबर-बराबर बंट जाये। आप यह मानते हैं कि अपने भाई-बहनों को आगे बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा मदद करिये, इस मदद का फल बुढ़ापे में वापस मिल जाएगा। बचपन में लगाओ, बुढ़ापे में

पाओ। गजब की सोच है। आपने राजनीति सुधारने के लिए थोड़ी-देर पहले एक शब्द बोला था- थीटो पॉवर। ये दुनिया के छह देशों को संयुक्त राष्ट्र के संविधान ने वीटो पॉवर दे रखा है, यह बात तो सभी जानते हैं। ये थीटो पॉवर क्या है?

64 भरत गांधी - घर-घर में पसरी आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए आर्थिक गुलामों को पालकर उनसे जबरदस्ती काम कराने की प्रथा पर अब रोंक लगाना जरूरी हो गया है। आर्थिक दासता पर रोंक लगाने के लिए पंच मंजिला शासन जरूरी है। पंच मंजिला शासन बनाने से राज्य का वैश्वीकरण व विश्व का राष्ट्रीयकरण होगा। इससे क्षेत्रीय सभ्यता व क्षेत्रीय संस्कृतियों के लोगों को अपनी आस्थाओं के साथ जीने में दिक्कत आ सकती है। एक आस्था के लोग अपनी आस्थाओं को दूसरी आस्थाओं वाले लोगों पर संचार माध्यमों के सहारे थोपना चाहेंगे। विज्ञान पर तो सहमति बन सकती है। लेकिन किसी आस्थावान को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह दूसरे की आस्था पर अंगुली उठाये। वैश्वीकरण के दौर में सांस्कृतिक संघर्ष को रोकने के लिये हमारा प्रस्ताव यह है कि हर एक सांस्कृतिक समुदाय को एक-एक प्रदेश सरकार बनाने का अधिकार दिया जाये और उसके मुखिया को एक ऐसा विशेषाधिकार दिया जाये, जिसका इस्तेमाल करके वह सांस्कृतिक सुरक्षा के आधार पर किसी भी प्रसारण, अखबार, भाषण, फिल्म... इत्यादि पर रोंक लगा दे। इसी रोंक के अधिकार को हम थीटो पॉवर कहते हैं।

६५ राजनीति सुधारने के लिये आपने बताया कि उत्तराधिकार की सीमा बननी चाहिए, दक्षिणाधिकार के नाम से एक नया कानून बनना चाहिए, सांस्कृतिक संघर्ष को रोकने के लिये प्रदेश सरकारों को थीटो पॉवर मिलनी चाहिए और राज्य को शोषण की बजाय न्याय करने वाला उपकरण बनाने के लिये दुमंजिला नहीं पंच मंजिला सरकार व्यवस्था अपनाया जाना चाहिए। ये सारे उपाय कर भी लिये जायें तो क्या आपको विश्वास है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर अत्याचार करना बंद कर देगा? अब तक तो देखने में यही आता है कि स्वयं गरीब व मध्यम वर्ग के लोग अपनी वोट से जिस सरकार को व संसद को बनाते हैं वही सरकार एवं वही संसद गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, मंहगाई जैसी समस्याओं पर घड़ियाली आंसू भी बहाती है और इन समस्याओं को बढ़ाती भी रहती है। अब तो लोग निराश हो चुके हैं। तमाम लोग वोट देना बंद कर चुके हैं। सरकार से उम्मीदें छोड़ चुके हैं...। आखिर आपके पास गरीबों और तंग मध्यम वर्ग को न्याय दिलाने का क्या उपाय है?

65 भरत गांधी - अगर सभी हिरन मिलकर शेरों को संसद में भेजते रहेंगे तो क्या कभी भी ऐसा दिन आएगा जब शेर लोग हिरन खाना बंद कर देंगे? भारत में जब आजादी मिल रही थी तभी यह शंका जताई गई थी। कम्युनिस्टों ने और बाबा अम्बेडकर ने यह शंका अंग्रेजों के देश छोड़ने से पहले ही जताई थी। उन्होंने कहा था कि देश के ऊंची जाति के लोग देश के नीची जाति के लोगों को आजादी नहीं देंगे। लेकिन जब संविधान बना तो ऊंची जाति के अमीरों ने नीची जाति के अमीर नेताओं के साथ गठजोड़ कर लिया। इस गठजोड़ का साफ-साफ सुबूत संविधान में दिखा। संविधान के अनु0 19 व 340 में यह लिख दिया गया कि पढ़ाई-लिखाई में पिछड़ेवर्ग के उत्थान के लिये सरकार कुछ विशेष उपाय करेगी, किसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए (अमीर) व्यक्ति को पिछड़ा मानकर उनके उत्थान के लिये विशेष प्रयास करेगी। किन्तु संविधान यह नहीं कहता कि पेसे में पिछड़े लोग भी पिछड़े हैं, उनके लिये भी सरकार कुछ विशेष

उपाय करेगी। चूंकि संविधान नहीं कहता इसलिये 60 सालों तक सरकारों ने सभी जातियों के अमीरों को अमीर बनाया और गरीबों के साथ अत्याचार किया। अत्याचार करने का अघोषित अधिकार संविधान नहीं देता है। चूंकि संविधान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को पिछड़ा नहीं मानता इसलिये सरकारें गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक गुलामी, मंहगाई, कुपोषण जैसे समस्यायें बढ़ाती हैं और उन्हें यह काम पूरी तरह 'संवैधानिक' लगता है।

६६ सरकार सरकारी स्कूल चलाती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वे जानबूझ कर देश के लोगों को अशिक्षित रखना चाहती है। सरकार अस्पताल चलाती है फिर भी आप कहते हैं कि सरकार लोगों को कुपोषण ग्रस्त रखकर बीमार रखना चाहती है। सरकार गांव-गांव राशन की दुकानें चलाकर सस्ता राशन देती है फिर भी आप कहते हैं कि सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है फिर भी आप कहते हैं कि सरकार जानबूझकर लोगों को बेरोजगार रखना चाहती है। सरकार मंहगाई रोकने के तमाम उपाय समय-समय पर करती रहती है, फि भी आप कहते हैं कि सरकार लोगों को तंग रखने के लिए जानबूझकर मंहगाई बढ़ाती है। ये परस्पर विरोधी बातें देखकर समझ नहीं आता कि आपकी बात सही है, या जो कुछ दिख रहा है वह बात सही है? सरकार निम्न वर्ग और मध्य वर्ग पर अत्याचार जानबूझकर करती है, क्या आप कुछ उदाहरण देंगे?

66.1 भरत गांधी - कई बार जो कुछ आंखों से दिखता है वह गलत होता है। जो सही होता है, वह आंखों से दिखता नहीं। दिमाग लगाइये तो समझ आता है। आंखों को दिखता है कि सूरज पूरब में उगता है और धरती के चारों ओर घूमता हुआ पश्चिम में जाकर डूबता है। लेकिन प्राइमरी का बच्चा भी जानता है कि ये जो कुछ दिखता है, वह गलत है। धरती चपटी दिखती है। लेकिन यह गोल है। इसी प्रकार सरकार जनहित में जो करती है वह दिखता है। लेकिन जनद्रोह में जो कुछ करती है वह केवल सरकार की जेहन समझने वाले ही जान पाते हैं।

कुछ उदाहरण चाहते हैं तो सुनिये। क्या यह सच नहीं है कि मंहगाई भत्ता सरकार केवल सरकारी कर्मचारियों को देती है। अगर सबको सरकार अपना मानती तो ऐसा क्यों करती? देश की लगभग आधी आबादी के पास खाने-पहनने के लिए एक-एक पैसे की तंगी है। इसके बाद भी सरकार निजी कम्पनियों की बराबरी करने के लिए अपने कर्मचारियों को सालभर में लाखों रूपये वेतन-भत्ता के नाम पर देती है। घर के लोग भूखे हों तो घर के मुखिया के मुंह में निवाला कैसे जाएगा? देश में 77 करोड़ लोगों की आमदनी जब 20 रूपये भी नहीं है तो सरकार के लोग लाखों रूपये कैसे हजम कर पा रहे हैं? ....अगर फिर भी सरकार के लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये घर के मुखिया हैं, क्या उनको मुखिया माना जा सकता है? सरकार ने शराब पिलाने के लिए भी विभाग खोले हुए हैं और रोंकने के लिए भी। क्या ये सुबूत नहीं हैं कि शराब रोकना सरकार का ढ़ोंग है। प्रधानमंत्री कार्यालय देश को संसार का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार रखने वाला देश बनाने के काम में लगा रहता है। ये काम तभी संभव है जब विदेशों से हथियार खरीदने के लिये विदेश का पैसा देश में ज्यादा से ज्यादा आये। विदेश का पैसा तभी आएगा, जब देश की जो सामान दूसरे देशों में बेची जाये, वह सस्ती से सस्ती हो। सस्ती सामान विदेश में

भेजने के लिए प्रधानमंत्री सचिवालय हर वक्त देश के 100 लोगों में से 70-80 लोगों को निर्धन, पैसे से तंग, दास बनाकर रखने के लिए कमर कसकर खड़ा रहता है। आप ही बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय जब गरीबी बढ़ाएगा, मंहगाई बढ़ाकर घरों में तंगी पैदा करेगा, रोटी का पैसा देकर लोगों से जबरदस्ती काम करवाने के लिए दासों की संख्या बढ़ाएगा- तो स्वास्थ्य मंत्री पैसे से तंग परिवारों को बीमार होने से कैसे बचाएगा, तो पैसे से तंग परिवार के लोग बच्चों से काम करवाएंगे या शिक्षा मंत्री के कहने से स्कूल भेजेंगे? कपड़ा मंत्री कपड़ा पैदा कर देगा लेकिन प्रधानमंत्री घरों में तंगी पैदा कर देगा- तो लोगों के घरों में कपड़ा मंत्री कपड़े को कैसे पहुंचाएगा? कृषि मंत्री अनाज पैदा कर देगा, लेकिन प्रधानमंत्री मूंछों की लड़ाई में घर-घर में पैसे की तंगी पैदा कर देगा- तो लोग अनाज खरीदेंगे कैसे?..... मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री चाहेगा, वह होगा कि जो मंत्री लोग चाहेंगे, वह होगा? मंत्री तो प्रधानमंत्री की नौकरी कर रहे होते हैं। क्या प्रधानमंत्री की आज्ञा उसकी मंशा के खिलाफ उसके नौकर यानी मंत्री लोग कोई भी काम कर सकते हैं?.....

६७ .....ये तो बड़ी गम्भीर समस्या है। आप का कहना ये है कि निम्न वर्ग के साथ और मध्य वर्ग के साथ आर्थिक अन्याय करने का काम स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय करता है? और ये देशवासियों पर ये सब अत्याचार प्रधानमंत्री मूंछों की लड़ाई के लिए करता है। इससे तो ये पता चलता है कि राजशाही में जिस तरह राजा लोगों के बीच मूंछों की लड़ाई चलती थी, और प्रजा इस लड़ाई में गाजर-मूली की तरह काटी जाती थी, लोकतंत्र का प्रधानमंत्री भी वही काम कर रहा है। जब गाड़ी चलाने वाले की ही नियति खराब हो, तो सवारियों का भगवान ही रखवाला है। आखिर क्या इसका कोई समाधान भी है या ये बर्बादी यूं ही चलती रहेगी?

भरत गांधी - समाधान है- आरक्षण। संसद में, विधानसभाओं में व नौकरियों में मध्यम वर्ग को और निम्न वर्ग को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिल जाए तो मूंछों की लड़ाई में देशवासियों को पिसने से बचाया जा सकता है। आज तो प्रधानमंत्री कार्यालय 'इतिहास' बनाने में जुटा रहता है और देशवासियों का 'भूगोल' खतरे में रहता है। ये सारी समस्या सभी जातियों, धर्मों, नस्लों और क्षेत्रों के अमीर लोगों ने मिलकर पैदा किया है। सभी जातियों व सभी क्षेत्रों के शेरों ने आपस में लड़ने का ड्रामा शुरू कर दिया। हिरनों को बता दिया कि तुम मेरे पीछे रहो, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। दूसरे क्षेत्र का, दूसरे देश का शेर नहीं आने दूंगा। उसको रोकूंगा। हिरनों ने शेर की गरजना सुनकर दूसरे जंगल के शेरों को मांसाहारी समझ लिया और अपने जंगल के शेरों को समझ लिया - शाकाहारी। इतनी सी कहानी है इस लोकतंत्र के ड्रामें की इसलिए राजनीति सुधारने के लिये हमने जो दवाइयां तैयार किया उसकी एक महत्वपूर्ण दवा का नाम है समावेशी आरक्षण - इन्कलुसिव रिजर्वेशन।

६८ समावेशी आरक्षण क्या है? यह आरक्षण किस प्रकार बचाएगा गरीब वर्ग को और मध्यम वर्ग को प्रधानमंत्री के आर्थिक अत्याचार से?

भरत गांधी - जिस प्रकार अनुसूचित जातियों व जनजातियों को पिछड़ा मानकर उन्हें आरक्षण दिया गया, उसी प्रकार हमने यह अभियान शुरु किया है कि गरीबी रेखा के नीचे व ऊपर जितने प्रतिशत जनसंख्या हो उतने प्रतिशत संसद व विधानसभाओं की सीटें बी0 पी0 एल0 और ए0 पी0 एल0 वर्ग के लिये रिजर्व

कर दिया जाये। आयकर देने वाले जितने प्रतिशत लोग हैं, उतने प्रतिशत सीटें, उनके लिए रिजर्व हो जायें तो संसद व सरकार की तासीर बदल जाएगी, धर्म व स्वभाव बदल जाएगा, प्रधानमंत्री व संसद मूंछों की लड़ाई में गरीबों व मध्य वर्ग को दास बनाकर रखने की आदत छोड़ देंगे। जब संसद में, सरकार में व नौकरियों में खुद हिरन ही चले जाएंगे तो शेरों को शाकाहारी बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। या तो घास खाएंगे या तो मरेंगे।

६९ जब संसद में, विधानसभाओं में गरीब व मध्य वर्ग के लोगों का टिकट देकर पार्टियां स्वयं इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में जगह दिला सकती हैं। इसके लिये संविधान संशोधन जैसा बड़ा काम करने की क्या जरूरत है?

भरत गांधी - पार्टियों में 95 प्रतिशत कार्यकर्ता गरीब व मध्य वर्ग के होते हैं लेकिन जब टिकट देना होता है तो मध्य वर्ग को बड़ी मुश्किल से 5 प्रतिशत टिकट मिल पाता है। 70-80 प्रतिशत बी0 पी0 एल0 वर्ग के लोगों को एक टिकट भी नसीब नहीं होता। अगर कोई पार्टी किसी सीट पर गरीब कार्यकर्ता को टिकट दे भी दिया तो उस सीट पर दूसरी पार्टी अमीर कार्यकर्ता को चुनाव में खड़ा करके चुनाव जीत लेगी। इसी डर के कारण कोई पार्टी गरीबों व मध्य वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट दे ही नहीं सकती। ऐसा तभी संभव है, जब इन वर्गों के लिए ही कुछ सीटें आरक्षित करने का कानून बने।

७० आर्थिक आधार पर आरक्षण का यह प्रस्ताव मानने से तो कोई भी पार्टी मना नहीं करेगी। आखिर पार्टियां भी तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय चाहती हैं।

भरत गांधी - शेर हिरनों को खाता है। लेकिन दूसरे शेरों के साथ न्याय नहीं चाहता। यह बात जानते हुए भी हम खुश होंगे और सभी पार्टियों के गरीब व मध्य वर्ग के कार्यकर्ताओं को शुभकामना देंगे अगर पार्टियां मिलकर संसद में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कानून बनाती हैं तो।

७१ क्या आपको नहीं लगता कि अगर बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों ने मिलजुलकर समावेशी आरक्षण का कानून नहीं बना दिया तो सभी दलों के निम्न वर्ग के तथा मध्यम वर्ग के कार्यकर्ता मिलकर नई पार्टी बना लेंगे। वह नई पार्टी ये इंक्ल्यूसिव आरक्षण का कानून बना देगी।

भरत गांधी - ऐसा हो गया तो समझिये राजनीतिक सुधार का एक चरण पूरा हो जाएगा और अगले चरण की लड़ाई के लिए जनमानस तैयार हो जाएगा। फिर तो एक पर एक सुधार होता चला जाएगा।

७२ लेकिन अगर गरीबों के नाम पर सभी पार्टियों के अध्यक्षों ने अपनी ही जाति के गरीबों को टिकट देना शुरु कर दिया तब तो शेष जातियों के लोग इस तरह के आरक्षण की खिलाफत में उतर पड़ेंगे। इस फूट का फायदा फिर शेर लोग यानी हर जाति के अमीर लोग उठाएंगे। वे लोगों को समझाएंगे कि समावेशी आरक्षण फालतू की चीज है। शेर चाहेंगे कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद के स्वाभिमान के नाम पर हिरनों को खाना जारी रखें।

73 भरत गांधी - इसका सरल समाधान है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को जितना आरक्षण संविधान देता है हर वर्ग को, उतना आरक्षण गरीबों के आरक्षण में और मध्यम वर्ग के आरक्षण में लागू कर दिया जाये। फिर हिरनों के बीच फूट डालकर शेर उन्हें खा नहीं पाएंगे। मतलब यह है कि 100 टिकट गरीबों के नाम पर जारी किये जायें तो 22 टिकट एस0 सी0 एस0 टी0 को दिये जायें और 18 टिकट सामान्य वर्ग के गरीबों को दिये जायें। जनसंख्या के अनुपात में जब टिकट बंटेगा तो जाति के

आधार पर गरीबों की ताकत तोड़ना संभव नहीं रहेगा। सच्चाई तो ये है कि गरीबों की एक ही जाति होती है। लेकिन फिर भी गरीबों व मध्य वर्ग के आरक्षण में जातियों का कोटा मान लेने से प्रधानमंत्री कार्यालय के अत्याचार से देशवासियों को बचाया जा सकता है।

७४ अगर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही मानते हैं तो इसे दलितों के आरक्षण में लागू करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जो लोग अमीर हैं उन्हीं के बच्चे आरक्षण के कोटे में आई सारी नौकरियां खा जाते हैं। १०० में से ९० दलित परिवारों की हालत वैसे ही बनी हुई है जैसे सन १९५० में थी।

75 भरत गांधी - राजनीति सुधारने के जो सूत्र हमने तैयार किया है उसमें यह सूत्र पहले से ही शामिल है, जिसकी बात आप कर रहें हैं। हमने यह प्रस्ताव किया है कि दलितों के नाम पर संसद, विधानसभाओं और नौकरियों में जो सीटें अलग की जाती हैं उनमें से 3 प्रतिशत सीटें अमीर दलितों को आवंटित की जायें और 97 प्रतिशत सीटें दलितों में गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर के लोगों को दे दी जायें। इससे आरक्षण का फायदा गरीब व मध्य वर्ग के दलितों को भी होगा और पूरा दलित समुदाय देश की मूल धारा में शामिल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रावधान को चरण बद्ध तरीके से लागू किया जाये। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में ये प्रावधान लागू हो। पाँच साल बाद द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में लागू हो। 10 साल बाद प्रथम श्रेणी की नौकरियों में लागू किया जाये।

७५ नौकरियों में गरिब दलितों को कौटा देने का काम चरण बद्ध तरीके से आप क्यों करना चाहते हैं?

भरत गांधी - इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि गरीबों को आरक्षित कोई सीट खाली न रह जायें। आज अमीर दलित जो अत्याचार गरीब दलितों पर करने में कामयाब हो रहे हैं उसके पीछे यही खाली जा रहीं सीटें हैं। वे अपनी जाति के गरीबों को समझाते हैं कि तुम अपने बच्चों के लिए नौकरियों में कोटा मत मांगो, क्योंकि अभी तो अमीर दलितों के बच्चे ही इतनी संख्या में नहीं हैं कि सारी कुर्सियों पर बैठ सकें। जब अमीरों के बच्चों से जगह बचेगी तो तुम्हारे बच्चों का मिलेगी। तब तक के लिए संतोष करो।

७६ पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है, उसमें गरीबों के लिए कोटे का प्रावधान आप जरूरी मानते हैं या नहीं?

भरत गांधी - सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण लागू करते समय ही क्रीमीलेयर का प्रावधान कर दिया था। इस प्रावधान में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि आरक्षण का कानून इस तरह से लागू करें कि जिस परिवार को एक बार आरक्षण का फायदा मिल जाये, उसकी आगामी पीढ़ियों को इसका लाभ न उठाने दिया जाये। इससे बहुत कुछ आरक्षण को लाभ लेने से ओ0 बी0 सी0 का अमीर वर्ग वंचित हो गया जो अच्छा हुआ।

७७ अगर संसद में और विधानसभाओं में समावेशी आरक्षण लागू हो जाये तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत गरीब लोग संसद में पहुंचने लगेंगे?

भरत गांधी - हम विश्व बैंक के आंकड़ों से देखें तो समावेशी आरक्षण के कारण साइकिल से व पैदल चलने वालों को संसद व विधानसभाओं में कम से कम 60 प्रतिशत जगह मिल जाएगी। विश्व बैंक 1

डॉलर जो लोग नहीं कमा पाते उन्हें गरीब मानती है। भारत में एक सरकारी आयोग ने सन 2008 में रपट दिया था कि 77 करोड़ लोग 20 रूपये नहीं कमा पाते। ये जनसंख्या 70 प्रतिशत बनी। लेकिन अगर औसत आमदनी 3500 रूपये की आधी रकम को गरीबी रेखा माना जाये वो भी 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा में आ जाएंगे। इसलिए 60-70 प्रतिशत गरीब लोग समावेशी आरक्षण के कारण संसद में सांसद बनकर पहुंच जाएंगे।

७८ मध्यम वर्ग के लोग कितने प्रतिशत पहुंचेंगे?

भरत गांधी - अगर 60 प्रतिशत पैदल व साइकिल वाले पहुंचेंगे तो शेष 36 प्रतिशत मध्यम वर्ग के लोग यानी मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग संसद सदस्य बना करेंगे।

७९ .....३६ प्रतिशत ही क्यों, संसद में मध्यम वर्ग के ४० प्रतिशत लोग क्यों नहीं पहुंच सकते?

भरत गांधी - क्योंकि भारत में लगभग 3.4 प्रतिशत लोग आयकर देते हैं। इसलिए 3.4 प्रतिशत सीटें उनको देना होगा। इसलिए मध्यम वर्ग जो साइकिल से ऊपर उठ चुका है लेकिन कार तक नहीं पहुंचा है- उसे 36 प्रतिशत तक सीटें मिल सकती हैं।

८० गांधी जी आप आरक्षण को ही खत्म करने की बात क्यों नहीं करते?

भरत गांधी - क्योंकि इसके लिये हमें उत्तराधिकार पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। अभी तो हम केवल उत्तराधिकार की सीमा तय करने की ही बात कर रहे हैं। अगर समाज को सीमित उत्तराधिकार की बात हजम हो गई तो पूर्ण उत्तराधिकार खत्म करने के लिए समाज खुद तैयार हो जाएगा। जब उत्तराधिकार खत्म हो जाएगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा।

८१ आप आरक्षण की बात को उत्तराधिकार से क्यों जोड़ते है?

भरत गांधी - बाप की दौलत फ्री में बिना किसी काम-धाम के, बिना किसी परीक्षा के बच्चों को देने के लिये संसद ने उत्तराधिकार कानून न बनाया होता तो कर्म से कोई अमीर-गरीब तो होता, जन्म से अमीर-गरीब न होता। जब जन्म के आधार पर सभी लोगों का आर्थिक रहन-सहन एक जैसा होता तो सभी जातियों के बच्चों को घरों के अंदर एक जैसी सुविधा और एक जैसे स्कूल और शिक्षक मिलते। फिर तो अवसरों की विषमता होती ही नहीं। अवसरों की विषमता न होती तो आरक्षण की मांग ही क्यों उठती? इसलिये आरक्षण की जड़ में है - उत्तराधिकार कानून। जब तक उत्तराधिकार रहेगा, तब तक किसी न किसी रूप में आरक्षण मौजूद रहेगा। दोनों ही विशेषाधिकार हैं। दोनों में काबिलियत का अपमान किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ज्यादा काबिल बच्चे को उत्तराधिकार की दौलत मिलती हो और कम काबिल बच्चे को न मिलती हो।

८२ क्या आरक्षण को आप कोई समस्या नहीं मानते?

भरत गांधी - असीमित उत्तराधिकार एक समस्या है, इस एक समस्या ने आरक्षण ही नहीं, तमाम समस्यायें पैदा की हैं। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। उत्तराधिकार का समर्थन आरक्षण का समर्थन है।

८३ आखिर आरक्षण के नाम पर कब तक समाज नाकाबिल डाक्टरों-इंजीनियरों को झेलता रहेगा?

भरत गांधी - यह ऐसी फालतू बात है, जिसे कान में भर-भर के आरक्षण विरोधी आग में जलाकर दर्जनों बच्चों को मारा जा चुका है। यह बात फालतू इसलिए है कि जो लोग नीची जाति के नाकाबिल डाक्टरों

का विरोध करते हैं, वही लोग ऊंची जातियों के नाकाबिल लोगों का समर्थन करते हैं। जो आदमी खुली परीक्षा में पीछे रह गया, लेकिन मोटा पैसा देकर डाक्टर-इंजीनियर बन गया। क्या वह नाकाबिल नहीं है? क्या ऐसा डाक्टर पेट में कैंची नहीं छोड़ेगा? आखिर कोई गलती छोटी जाति का बच्चा करे तो गलत और वही गलती अमीर का बच्चा करे तो सही कैसे है? जिन लोगों ने आरक्षण विरोधी आग में बच्चों को जला डाला, उन लोगों ने कभी कैपिटेशन फीस के विरोध में हिंसक आंदोलन क्यों नहीं किया? इस दोहरे बर्ताव के कारण ही हम अयोग्यता के आधार पर आरक्षण के विरोध को फालतू बात मानते हैं।

८४ क्या आरक्षण आंदोलन को आप नासमझी मानते हैं?

भरत गांधी - आरक्षण आंदोलन सभी जातियों के अमीरों का आंदोलन था। किसी भी जाति के गरीब का इससे कोई लेना-देना नहीं। ऊंची जाति के शेरों ने नीची जाति के शेरों से झगड़ा किया था। इसी को आरक्षण आंदोलन कहते हैं। दलितों की जनसंख्या 24 करोड़ है, नौकरियां हैं ..... लाख। ओबीसी की जनसंख्या 60 करोड़ है, नौकरियां .....। सामान्य वर्ग की जनसंख्या है- 20 करोड़ नौकरियां हैं कुल 1 करोड़ 30 लाख। 23 करोड़ .... लाख दलित नौकरी न पाने के लिये आरक्षित हैं। 59 करोड़ .... लाख पिछडी जाति के लोग नौकरी न पाने के लिये आरक्षित हैं। 19 करोड़ 70 लाख सामान्य वर्ग के लोग नौकरी न पाने के लिए आरक्षित हैं। इसलिये हम कहते हैं आरक्षण न समस्या है, न समाधान। हर जाति के तीन प्रतिशत अमीरों की यह समस्या है और हर जाति के तीन प्रतिशत अमीरों के लिये ही यह समाधान है। शेष 97 प्रतिशत लोगों को तो राहत तभी मिलेगी जब राजनीति सुधरेगी।

८५ आप मानते हैं कि सभी जातियों के अमीरों ने जानबूझकर आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया। जबकि सभी जातियों के ९७ प्रतिशत निम्न मध्य वर्ग और गरीब वर्ग के लिए न यह समस्या है, और न समाधान। आपने यह भी कहा कि इन ९७ प्रतिशत जनसंख्या की समस्याओं का समाधान तभी संभव है, जब गरीब और मध्यम वर्ग के लोग संसद में और विधानसभाओं में पहुंचें। आप अगर समावेशी आरक्षण लागू कर भी दिये तो साइकिल पर चलने वाला और पैदल चलने वाला जनसंपर्क का काम कैसे करेगा? आखिर प्रचार-प्रसार के लिये लोगों से मिलने-जुलने के लिए कुछ न कुछ तो पैसा चाहिए ही। किसी गरीब घर में पैदा हुए व्यक्ति में नेता बनने की जन्मजात काबिलियत है भी तो वह जनसेवा व राजनीति का काम कैसे कर पायेगा, वह पैसा कहां से लाएगा? और उसके पास पैसा नहीं होगा तो समावेशी आरक्षण लागू होने के बाद भी कोई पैसे वाला उसे चुनाव लड़ने के लिये पैसा देगा और कठपुतली बनाकर रखेगा। फिर गरीबों का प्रतिनिधि गरीबों के लिए संसद में व विधानसभाओं में काम कैसे कर पाएगा?

85 भरत गांधी - आज के लोकतंत्र को इसीलिये हम नकली कहते हैं। जहां 80 प्रतिशत लोगों के दु:खों पर केवल घड़ियाली आंसू बहाने वाले संसद में जमा होते हों, वह ज्यादा से ज्यादा 20 प्रतिशत लोगों का ही लोकतंत्र हो सकता है।

गरीबों का प्रतिनिधित्व केवल गरीब लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए गरीबों की राजनीति करने वालों का खर्च सरकारी खजाने पर डाला जाना चाहिए। इसी नीति के कारण अब यह आवाज उठ रही है कि पार्टियों में काम करने वाले पदाधिकारियों को भी वेतन-भत्ता मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, लोकसभा के चुनावों में प्राप्त वोट के अनुपात में प्रत्याशियों को समाज प्रबंधन शुल्क भी मिलना चाहिए। इस पैसे के

कारण राजनीति करने वालों की निर्भरता अमीरों से खत्म होकर गरीब जनता पर आ जाएगी। गरीब जनता को अपनी जेब से कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और वे जिसको चाहेंगे, राजनीति करने का पैसा उन्हीं लोगों को मिल पाएगा।

८६ क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अब चुनाव लड़ेगा, उसे जीवनभर पैसा मिलेगा? वह भी वोटों के हिसाब से? जो ज्यादा वोट पाएगा, उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो कम वोट पाएगा, उसे कम पैसे मिलेंगे?

भरत गांधी - सभी बातें तो आपने ठीक समझा। बस एक गलती हो गई। चुनाव लड़ने वालों को पैसा तो मिलेगा; लेकिन जीवन भर नहीं, अगला चुनाव होने तक।

८७ अगले चुनाव तक ही क्यों?

भरत गांधी - इसलिए कि क्या भरोसा वह समाज का काम करना बंद कर दे। यह परीक्षा अगले चुनाव में होगी। अगर वह ज्यादा लोगों का प्रिय बन गया, तो अगले चुनाव में उसे पहली बार से ज्यादा वोट मिलेंगे। अगर ज्यादा वोट मिलेंगी तो उसका समाज प्रबंधन भत्ता भी बढ़ जाएगा। अगर वह कम वोट पाता है तो उसके भत्ते की रकम कम हो जाएगी। जब तक वह समाज प्रबंधन का काम करता रहेगा, उसको प्रबंधन भत्ता मिलता रहेगा।

८८ गरीबों पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले जिस प्रकार आजकल गरीबों की वोट झटक ले जाते हैं, वैसे ही प्रत्याशी का भत्ता भी गरीबों के नकली नेता झटक लिया करेंगे। आखिर गरीबों की असली राजनीति करने वालों को राजनीति करने का खर्च कैसे मिल पाएगा?

89 भरत गांधी - आज गरीबों की असली राजनीति जो लोग करते हैं, अमीर लोग उनको चंदा नहीं देते। गरीबों के असली और नकली नेता पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। जब अमीर लोग चंदा नहीं देते तो चुनाव में खड़ा वह प्रत्याशी प्रचार-प्रसार करने में, गरीबों को कम्बल बांटने में, उनकी आर्थिक मदद करने में ज्यादा सफल हो जाता है। गरीब लोग अपने इस दुश्मन को अपना शुभचिंतक मानने लगते हैं। जैसे घड़ियाल के आंसू देखकर कई जानवर उसके पास आ जाते हैं और घड़ियाल उन्हें खा जाता है। अब तक गरीबों के नकली नेता घड़ियालों की तरह गरीबों को गुलाम बनाकर रखे रहे और उन्हीं की वोट लेकर मौज-मस्ती भी करते रहे। गरीबों के असली नेता प्रचार-प्रसार में, नकली नेताओं से पिछड़ जाते थे। गरीब आदमी जानता तो था कि गरीबों का असली हमदर्द कौन है। लेकिन गरीब आदमी अपने असली नेता को वोट इसलिए नहीं देता था क्योकि असली नेता तो हार ही जाएगा। फिर अपनी वोट उसे देकर वोट को बर्बाद क्यों करना चाहिए? चूंकि हिरन शेरों से हार जाएगा, इसलिए हिरनों ने भी शेरों को वोट दिया और उनकी ताकत बढ़ाई। अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब वोट के हिसाब से नोट मिलने लग जाएगी तो इस पैसे का इस्तेमाल करके गरीबों के असली नेता दो-तीन चुनावों के बाद नकली नेताओं का पैसे में भी मुकाबला करने लायक हो जाएंगे। जब उन्हें मुकाबले में देखेंगे तो गरीब लोग गरीब प्रत्याशियों को भी वोट देंगे। जब वे चुनाव जीत कर जाएंगे तो उन्हें अमीरों के हाथों की कठपुतली बनने की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि उन्हें वोटरों के प्रमाणपत्र के आधार पर ही आमदनी होती रहेगी।

९० कितनी आमदनी हो सकती है? एक वोट के पीछे उन्हें कितना पैसा मिल सकता है?

भरत गांधी – हमने भारत की संसद में प्रस्ताव पेश करवाया था, उसके हिसाब से हर वोटर की औसत आमदनी की आधी रकम वोटरशिप के रूप में उसको हर महीना दिये जाने का प्रस्ताव है। वोटर को मिलने वाली वोटरशिप का 12वां हिस्सा यानी एक महीने की रकम 'समाज प्रबंधन कर' के रूप में सरकार रख सकती है। इसी रकम को वह प्रत्याशियों के खाते में भेजेगी। अगर भारत की औसत आय 3500 रूपये हर महीने मानें। तो वोटरशिप की रकम बनी 1750 रूपये प्रति माह। प्रत्याशी का भत्ता बना 1750 रूपये प्रति वर्ष प्रति वोट।

यानी कि अगर कोई 1000 वोट पा जाता है तो उसे 1000 लोगों की वोटरशिप की एक महीने की रकम मिलेगी। यह रकम हर साल बनेगी – 17,50,000 (सत्रह लाख पच्चास हजार रूपय) हर माह।

९१ आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव लड़ने पर पैसे मिलने लगेंगे तो वोट देने वाले कम रह जाएंगे चुनाव लड़ने वाले ही ज्यादा हो जाएंगे?

भरत गांधी – इसके लिए एक 'वोटिंग स्लैब' बना सकते हैं। कानून में प्रावधान कर सकते हैं कि 1000 वोट से कम पाने वालों को प्रबंधन भत्ता न मिले।

८२ लेकिन जो लोग पार्टी में काम तो करेंगे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला; तो उनके लिए समाज सेवा का खर्च कैसे मिल पाएगा?

भरत गांधी – इसीलिए हमने यह प्रस्ताव रखा है कि सभी पार्टियों के सभी उन पदाधिकारियों को वेतन–भत्ता मिलना चाहिए, जो पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

९३ क्या मतलब? क्या पार्टियों में काम करने वालों के वेतन–भत्ता मिलना चाहिए?

भरत गांधी – जी हाँ। अगर कम्पनियों में काम करने वालों को वेतन–भत्ता मिलता है तो पार्टियों में काम करने वालों को भी मिलने लगे तो बुराई क्या है?

९४ पार्टियां कम्पनी बन गई तो क्या होगा?

भरत गांधी – अगर पार्टियां कम्पनी बन करके भी अपना काम करने लगें तो अच्छा ही होगा। आज पार्टियां कम्पनी नहीं है और समाज के 10 प्रतिशत लोगों के लिए कार्य कर रहीं हैं। अगर कल वे कम्पनी बन जायें, लेकिन 100 फीसदी लोगों के लिए काम करने लग जायें तो अच्छा ही होगा। सरोकार अर्थों से होना चाहिए, शब्दों से क्यों?

९५ सत्ताधारी पार्टी यह तो चाह सकती है कि उसकी पार्टी के पदाधिकारियों को वेतन–भत्ता मिले। लेकिन वे यह क्यों चाहेगी कि उसके खिलाफ जो पार्टी काम कर रही है, उसके लोगों को भी यह पैसा मिले?

भरत गांधी – सांसदों का जब वेतन बढ़ाना होता है, तो संसद के अंदर सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी एकजुट हो जातीं हैं। इसी प्रकार जब पदाधिकारियों को वेतन–भत्ता दिलाने का कानून बनाने के लिए सभी पार्टियों के पदाधिकारी एकजुट हो जाएंगे तो पार्टियों के जो मुखिया इस सर्वदलीय आंदोलन का विरोध करेंगे, उसकी पार्टी के पदाधिकारी नई पार्टी बना लेंगे। मुखिया अमीरों की गोद में अकेले खडे रह जाएंगे।

९६ कुछ पार्टियां राष्ट्रद्रोही काम भी करती हैं। कुछ पार्टियां समाज विरोधी काम भी करती हैं। आखिर उनके कार्यकर्ताओं को वेतन–भत्ते क्यों मिलना चाहिए?

भरत गांधी - जिस दिन वोट के अधिकार की खोज हुई थी, उसी दिन ये बात खारिज हो गई थी कि कोई समुदाय सही सोचता है या कोई समुदाय गलत सोचता है। जब कोई विचारधारा एक व्यक्ति की बजाय कई व्यक्तियों की बन जाती है तो वह सही गलत से परे हो जाती है। कोई पार्टी या संगठन राष्ट्रद्रोही काम करेगा तो उसे जनसमर्थन मिल जाएगा, यह केवल गलतफहमी है। बिना जनसमर्थन के उसके हाथ में राजसत्ता जा ही नहीं सकती। तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है।

९७ संविधान ने लोगों को बोलने का अधिकार तो दे ही रखा है। इस अधिकार से जनता का समर्थन प्राप्त करें, सरकार बनायें। फिर सांसदों-विधायकों को खुद ब खुद वेतन-भत्ता मिलने लग जाएगा। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को वेतन-भत्ता देने की क्या जरूरत है।

भरत गांधी - इसीलिए लोकतंत्र में किसी एक विचारधारा के लोगों को आर्थिक रूप से तंग नहीं रखा जा सकता। विचारों को व्यक्त करने के अधिकार में व्यक्त करने का आर्थिक अधिकार भी शामिल है। लाउडस्पीकर वालों के बीच में मुंह से बोलने वाले की सुनेगा कौन? उसे सरकारी पैसे से लाउडस्पीकर देना पड़ेगा; तभी उसकी बात सुनाई पड़ेगी कि वह कह क्या रहा है। जब सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को वेतन-भत्ता मिलने लगेगा तो समझिए कि सभी को अपने विचार व्यक्त करने का लाउडस्पीकर मिल गया। जब तक सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को वेतन-भत्ता नहीं मिलता, तब तक समझिए पैसे से तंग 80 प्रतिशत समाज बोलने के अधिकार से वंचित है। वेतन-भत्ते के हक को बोलने का हक समझिए।

९८ पार्टी में तमाम ऐसे लोग पदाधिकारी बन जाते हैं जो पार्टी का कोई काम करते ही नहीं। क्या इन निकम्मों को भी वेतन मिलना चाहिए?

भरत गांधी - जो निकम्मा होगा वह अपना ही नुकसान करेगा। निकम्मा आदमी अब किसी पार्टी में ऊंचे पद पर नहीं रह पाएगा। नीचे के ओहदों पर वेतन भी न के बराबर होगा। ऊंचे ओहदों पर रहकर पार्टी के हिस्से का वेतन निकम्मों को मिलने लगेगा तो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। किस पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे कि पार्टी के सक्रिय पदाधिकारियों को कम वेतन मिले और निष्क्रिय पदाधिकारीयों को ज्यादा? जो पार्टी निकम्में पदाधिकारियों को वेतन देगी वह राजनीतिक अखाड़े से उसी तरह बाहर हो जाएगी जैसे कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देने वाली कम्पनियां बाजार के अखाड़े से बाहर हो जाती हैं।

९९ हमने सुना है कि आप लोगों को यह बनाते हैं कि लोग एक से ज्यादा पार्टियों के कार्यक्रमों में भाग लें, उनकी बातें सुने, उनके विचारों को जानें, उनकी पुस्तकों को पढ़ें, उनके कार्यकर्ताओं से नजदीकी संबंध बनायें..... । ये सब आप क्यों चाहते हैं? क्या आपको संभव लगता है कि एक आदमी उस पार्टी के नेताओं को सुनने जाएगा- जो पार्टी उसकी सोच के खिलाफ काम कर रही है? क्या आप चाहते हैं कि शेर हिरनों की सभा सुनने जायें और हिरन शेरों की सभा सुनें?

भरल गांधी - अगर कोई आदमी ये समझता है कि वह जिस पार्टी का सदस्य है वह हिरनों जैसी पार्टी है और उस पार्टी के खिलाफ जो पार्टी काम करती है, वह शेरों जैसी पार्टी है- तो मैं नहीं कहता कि वह आदमी इन दोनों पार्टियों का सदस्य बनें, सभाओं में जायें, दोनों पार्टियों के लोगों से संबंध रखे। लेकिन हिरन भैसों की पार्टी का सदस्य तो बन सकता है, उनकी सभाओं में तो जा सकता है। हिरन को शेरों से हो सकता है, लेकिन भैसों से क्या खतरा है? उसे भैसों की पार्टी का सदस्य क्यों नहीं बनना चाहिए?

१०० लोग यह कैसे तय करेंगे कि उन्हें किन-किन पार्टियों का सदस्य बनना है, किन-किन पार्टियों का सदस्य नहीं बनना है?

भरत गांधी - लोग यह फैसला कर पायें, अपने हित-दुश्मन पहचान पायें- इसीलिए हम राजनीति सुधारने के लिए पार्टी पंजीकरण कानून में सुधार जरूरी मानते हैं। आज जिन पार्टियों का पंजीकरण होता है, उसमें तो शेर-हिरन-भैसें सभी एक ही झुण्ड में रहने को मजबूर किये जाते हैं। इसका खामियाजा हिरनों को व भैसों को भुगतना पड़ता है। शेरों को बिना दौड़-भाग शिकार मिलता रहता है।

१०२ राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण में आप क्या सुधार चाहते हैं?

भरत गांधी - हम चाहते हैं कि जो पार्टी प्रदेश की राजनीति करे, वह देश की न करने जाये। और जो देश की राजनीति करे वह किसी प्रदेश की राजनीति न करके पाये।

१०३ क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो पार्टी विधायक के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे, वह सांसदों के चुनाव में अपने प्रत्याशी न उतार पाये? उस पर कानूनी रोक लगनी चाहिए?

भरत गांधी - जी हाँ। इतना ही नहीं जो पार्टी संसदीय चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारना चाहे उसे यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह किसी प्रदेश की विधानसभा चुनावों में भी अपने प्रत्याशी उतार दे। पार्टी के पंजीकरण के समय ही पार्टी बनाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि दुमंजिला शासन में पार्टी किस मंजिल पर चुनाव लड़ना चाहती है? प्रदेश की मंजिल पर या देश की मंजिल पर? पार्टी जिस मंजिल को चुने, केवल उसी मंजिल के चुनावों में भागीदारी करने का अधिकार उसे होना चाहिए अन्य स्तरों पर नहीं।

१०४ ऐसा आप क्यों चाहते हैं? इससे क्या फायदा होगा?

भरत गांधी - राजनीति और राजनेताओं को गत 60 सालों में लगातार जो चरित्र गिरा है, जनता में जो असंतोष बढ़ा है उसका मुख्य कारण यही है कि एक ही पार्टी देश व प्रदेश - दोनों स्तर की राजनीति करती है। दो बीमारियों की दवा देने का जनता में आक्रोश बढ़ता है। जिस तरह एक ही डाक्टर हर तरह की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक ही पार्टी लोगों की हर तरह की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती।

१०५ पार्टियां जनता की एक-दो नहीं जनता की अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग पार्टियों का पंजीकरण हो क्या इससे अच्छा यह नहीं है कि एक ही पार्टी जनता की सभी समस्याओं को हल करे?

भरत गांधी - क्योंकि जनता को अपने घर की अमीरी भी चाहिए होती है, अपने देश की अमीरी भी। एक पार्टी ये दोनों काम नहीं कर सकती है। बहुत हद तक ये दोनों काम परस्पर विरोधी हैं। एक पूरब जाने का काम है तो दूसरा पश्चिम जाने का। एक ही साथ एक ही आदमी दोनों दिशाओं में कैसे चल सकता है? आप अपने घर का बैंक बैलेंस भी बढ़ायें और परिवार के सभी सदस्यों की फर्माइश भी पूरी करें यह कैसे संभव है। बैंक बैलेंस बढ़ायेंगे तो परिवार के लोगों की मांगों में कटौती करनी ही पड़ेगी। परिवार के लोगों की सभी जरूरतों पूरी करना चाहेंगे तो बैंक बैलेंस कम होगा ही। घर-परिवार में जो कुछ होता है वही होता है - देश में और विश्व में।

१०६ क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो पार्टी देश के विकास की बात करती है, वह लोगों के परिवारों का विनाश करती है? वह लोगों के परिवारों का विकास कर ही नहीं सकती?

भरत गांधी - कैसे कर सकती है? वह लोगों के घरों का पैसा खींचकर ही तो देश का विकास करेगी! जब तक आप परिवार के लोगों की जेब से पैसा नहीं खींचेंगे, तब तक बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाएंगे?

१०७ फिर पार्टियां जनहित की बात क्यों करती हैं?

भरत गांधी - आजकल की पार्टियां जनहित की केवल बात करती है; काम राष्ट्रहित का काम करने में सरकारी लोगों का जनहित भी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मकान बनाने में कुछ मजदूरों को एक-दो महीने मजदूरी मिल जाती है। मकान बनने पर जिस तरह मकान मालिक मजदूरों को मकान से बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार 'राष्ट्र' का विकास करवा के जनता को बाहर निकाल दिया जाता है। जिस तरह मकान मालिक मकान बनाते समय मजदूर हित की बात करता है, उसी प्रकार आज की बड़ी पार्टियां जनहित की बात करती है।

१०८ अगर आज की बड़ी पार्टियां जनता को केवल काम करने वाला मजदूर समझती हैं, वे जनहित न चाहती हैं और न करती हैं तो आखिर कैसे माना जाये कि वे राष्ट्रहित का काम करती हैं?

भरत गांधी - राष्ट्रहित के काम में भी जनहित है लेकिन केवल सरकारी कर्मचारियों का जनहित है और केवल उद्योगपतियों व व्यापारियों का जनहित है। राष्ट्रहित में शेष जनता का हित नहीं है।

१०९ क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आज की बड़ी-बड़ी पार्टियां केवल सरकारी कर्मचारियों की ही पार्टियां हैं, जनता का इन पार्टियों से लेना-देना ही नहीं है?

भरत गांधी - ये पार्टियां केवल अपने से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम ही करती हैं और अपने से जुड़े उद्योगपतियों - को लाभ पहुंचाने का जतन भर करती हैं। एक पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो उस पार्टी से जुड़े सरकारी कर्मचारी और उद्योगपति बिना मेहनत के अमीरी पाने लगते हैं, दूसरी पार्टी से जुड़े सरकारी कर्मचारी और उद्योगपति इंतजार करते रहते हैं। जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो पहली पार्टी के सरकारी कर्मचारी और उद्योगपतियों को इंतजार करना पड़ता है।

११० समाज में १०० में से ज्यादा से ज्यादा केवल २ लोग सरकारी कर्मचारी होते है और ज्यादा से ज्यादा २० लोग बड़े उद्योग-व्यापार के मालिक बन पाते हैं। क्या आज की बड़ी पार्टियां १०० में से इन्हीं ४ लोगों की ही पार्टियां होती हैं? क्या इन्हीं ४ लोगों के हित को ये पार्टियां राष्ट्रहित कहती हैं?

भरत गांधी - जी हाँ। शेष लोगों की पार्टियां भी बनें इसीलिए तो हम पार्टी के पंजीकरण कानून में सुधार चाहते हैं। इन 4 प्रतिशत लोगों की न तो कोई पार्टी बन पाती है न तो सरकार।

१११ क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जनहित की पार्टी अलग होनी चाहिए और राष्ट्रहित की अलग?

भरत गांधी - जी हाँ। जनहित की पार्टी राष्ट्रहित का वादा जनता से न करे। और राष्ट्रहित की पार्टी जनहित का वादा न करे। यह बात पार्टी के पंजीकरण के समय ही तय हो जाना चाहिए। जिससे जनता के

साथ धोखा न हो। जनता अपने आपको ठगा हुआ महसूस न करे। जनता का विश्वास लोकतंत्र से डिगने न पाये। लोकतंत्र केवल 4 प्रतिशत लोगों का ही नहीं, अपितु 100 प्रतिशत लोगों का लोकतंत्र बन पाये।

११२ आप कहते हैं कि प्रदेश और देश का चुनाव लड़ने के लिये अलग-अलग पार्टियां हों। अगर ऐसा कानून बन भी जाये कि एक पार्टी केवल एक ही स्तर का चुनाव लड़ने की अधिकारी हो तो क्या आज कल की पार्टियां जनहित करने लग जाएंगी?

भरत गांधी - तब ये पार्टियां रह ही नहीं जाएंगी। इनको अपना आत्मसुधार करना पड़ेगा। इनको शासन की एक छत का चुनाव करना पड़ेगा। पार्टी में विभाजन करना पड़ेगा। प्रदेश का चुनाव लड़कर जो लोग एम0 एल0 ए0 बनना चाहते हैं उनको अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। और देश का चुनाव लड़कर जो लोग सांसद बनना चाहते हैं उनको अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। अब दोनों तरह के लोग एक पार्टी में नहीं रह पाएंगे। प्रदेश की पार्टी अब संसद में अपने प्रतिनिधि नहीं भेज पाएगी। इसी प्रकार देश स्तर की पार्टी अब किसी भी प्रदेश की विधानसभा में अपने विधायक नहीं भेज पाएगी।

११३ अखिल भारतीय पार्टी अगर प्रदेशों में विधायक न बना सकें और प्रादेशिक पार्टियां अगर देश की संसद में सांसद न भेज पाएं तो क्या फायदा होगा?

भरत गांधी - इससे यह फायदा होगा कि प्रदेश के विकास की वकालत करने वाला अब प्रदेश के विकास का काम ही करेगा। उसकी प्रतियोगिता भी अब उसी के बराबर की पार्टी से होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि 40 किलो के पहलवान से 90 किलोग्राम वाला लड़ रहा हो। अब देश स्तर की पार्टी का मुकाबला केवल देश स्तरीय पार्टियों से ही होगा।

११४ अगर किसी प्रादेशिक पार्टी का प्रतिनिधि सांसद बनकर देश की संसद में आ भी जाये तो हर्ज क्या है?

भरत गांधी - अपने प्रदेश के विकास के लिए ये जरूरी मानती हो कि दूसरे प्रदेशों के लोग उसके प्रदेश में न आयें, नौकरी-पेशा न करें, शासन-प्रशासन में न रहें - तो वह अपने प्रदेश की वकील तो हो सकती है। दूसरे प्रदेशों के लिए वह वकील विश्वासघाती होगा। आपका मुकदमा जिससे चल रहा है, उसका वकील अगर जज बन जाये तो आपके साथ न्याय कैसे करेगा? वह तो यही चाहेगा कि न्याय पर होते हुए भी आप मुकदमा हार जायें और अन्याय पर होते हुए भी आपका विपक्षी मुकदमा जीत जाये। देश की संसद सभी प्रदेशों की पंचायत है। उसमें किसी भी प्रदेश के वकील के प्रवेश पर रोंक होनी ही चाहिए। अगर ऐसा वकील जाएगा तो वह अपने प्रदेश को रेवड़ियां बांटेगा और दूसरे प्रदेश के लोगों की रोटियां भी छीनेगा। छीना-झपटी वाले लोगों से क्या न्याय की आशा की जा सकती है?

११५ क्षेत्रवादी पार्टियों के प्रतिनिधि जब देश की पंचायत में आ जाते हैं तो वे अपने प्रदेश के विकास के लिए दूसरे प्रदेशों की बलि चढ़ा देते हैं। आप क्या यह भी मानते हैं कि देश की एकता और अखण्डता के लिए भी ऐसे लोग खतरा बनते हैं?

भरत गांधी - देश की सरकार बाप जैसी है और प्रदेश की सरकारें उसके बच्चों जैसी। अगर किसी बच्चे के वकील को आप बाप की कुर्सी पर बैठा देंगे तो वह पक्षपात जरूर करेगा। और उसके पक्षपात से दुखी होकर पिता के दूसरे बच्चे पिता के खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल बजा देंगे। यह समझना जितना आसान है, उतना ही आसान यह भी है कि प्रदेशवादी पार्टियों के प्रतिनिधि देश की संसद में अगर पहुंचेंगे तो वे

दूसरे प्रदेशों को सौतेली नजर से जरूर देखेंगे। उनकी कथनी और करनी में अंतर जरूर होगा। वे बाप होने का ड्रामा जरूर करेंगे लेकिन बाप जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। अगर बाप जैसा वास्तव में बर्ताव करने लगेंगे तो उनके प्रदेश की पार्टी उन्हें पार्टी से ही बाहर निकाल देगी। और दिल्ली में बैठकर ऐसे लोग बाप की एक्टिंग ज्यादा देर तक करेंगे तो देश के वे प्रदेश बाहर जाने की तैयारी कर लेंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिये देश की एकता व अखण्डता के लिए भी जरूरी है कि आजका दूमंजिला शासन जब तक पंचमंजिला नहीं बन जाता, तब तक हर पार्टी को शासन के एक ही तल पर राजनीति करने की अनुमति दी जाये। अन्य तलों पर राजनीति करने से उन्हें रोका जाये।

११६ क्षेत्रवादी पार्टी के प्रतिनिधि संसद में पहुंच जाते हैं तो जो खतरा पैदा होता है वह बात तो समझ में आती है। अगर देश स्तरीय सोच, देश स्तरीय राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत पार्टी के प्रतिनिधि विधानसभाओं में पहुंच जायें तो क्या नुकसान है?

भरत गांधी – अगर बाप ने बच्चों को अलग-अलग घर दे दिया तो घर का मालिकाना भी घर वाले ही करें तो अच्छा। अगर बाप सभी बच्चों के घरों में अपना चौकीदार भेज देगा तो बच्चों को महसूस होगा कि पिताजी को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। उन्हें बाप द्वारा भेजा हुआ चौकीदार परिवार में दखल देता हुआ महसूस होगा। इससे भी बच्चे बाप के प्रति बागी हो सकते हैं। प्रदेश रूपी बच्चोंने ऐसा किया तो देश स्तर की पार्टी प्रदेशों में चुनाव लड़वाकर अपने विधायक वहां की विधानसभा में जाती रहेगी वो प्रदेश धीरे-धीरे बागी होते जाएंगे और अंत में भारत की एकता व अखण्डता बचाये रख पाना मुश्किल हो जाएगा।

११७ दूसरा खतरा क्या है?

भरत गांधी – दूसरा खतरा यह है कि प्रदेशों की पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, जितना देश स्तरीय पार्टियों के पास होता है। जब प्रादेशिक चुनावों के अखाड़े मे ये दो तरह की पार्टियां लड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हों – उसमें से एक 100 किलोग्राम का है व दूसरा 40 किलोग्राम का। इस लड़ाई में यह बात लगभग तय है कि 40 किलोग्राम वाला पहलवान पटखनी खाएगा। विषम लड़ाई के कारण ही प्रादेशिक पार्टियों को देश स्तरीय पार्टी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों में और क्षेत्रवादी लोगों में देश के प्रति प्रेम पैदा होने की बजाय नफरत पैदा हो जाती है और प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति का रखवाला कोई नहीं रह जाता। प्रदेश की सभ्यता-संस्कृति और प्रदेश के लोगों की अहिंसक आस्थाओं पर भी जब देश स्तरीय पार्टी के लोग चोट पहुंचाते हैं तो देश के प्रति गुस्सा केवल प्रादेशिक नेताओं में ही नहीं पैदा होता, वहां की आम जनता भी गुस्से में भर जाती है।

११८ यह बात समझना तो बहुत आसान है कि देश स्तर की पार्टी प्रदेश में शासन करेगी तो वहां की सभ्यता व संस्कृति के साथ न्याय नहीं कर सकती। उसी प्रकार प्रदेश की पार्टी देश की बागडोर संभालेगी तो दूसरे प्रदेशों के साथ न्याय नहीं कर सकती। इसलिए आप यह कह रह हैं कि देश की पार्टी प्रदेश की राजनीति न करे और प्रदेश की पार्टी देश की राजनीति छोड़ दे। आखिर इतनी सरल सी बात संविधान बनाने वालों को समझ क्यों न आई? अब तक जैसा चला वैसा ही आगे भी चलने दिया जाये तो हर्ज क्या है?

भरत गांधी – जैसा अतीत में चला वैसा भविष्य में नहीं चल सकता। इसका कारण यह है कि 1994 के बाद से पूरे संसार की बाजार साझी हो गई है, आयात–निर्यात की पाबंदियां हट गई हैं, विश्व अर्थव्यवस्था पैदा हो गई। अब सामानों का आना–जाना हर देश में बेरोकटोक हो गया है, अब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से फोन पर ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे पड़ोसी घर में बातें कर रहे हों। एक देश के लोग दूसरे देशों से केवल बातें ही नहीं कर रहे है बिना कोई पैसा खर्च किये एक दूसरे को देख भी रहे हैं। अब देश में जितनी खरीद बिक्री देशी कम्पनियों के सामानों की हो रही है, उससे ज्यादा तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सामानों की हो रही है। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बजट इतना ज्यादा है कि उतने बजट में दर्जनों देशों की सरकारें चलती हैं। इसीलिए संसार के अधिकांश देशों की सरकारें इन कम्पनियों पर शासन नहीं चला रही हैं। इसके विपरीत ये कम्पनियां ही देशों की सरकारों पर शासन कर रही हैं। जिस प्रकार देश स्तर की कम्पनी पर कोई प्रदेश सरकार शासन नहीं चला सकती, उसी प्रकार किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर किसी एक देश की सरकार शासन नहीं चला सकती। जिस प्रकार देश स्तर की कम्पनी को जिस प्रकार देश स्तर की कम्पनी को देश स्तर की सरकार ही अनुशासित कर सकती है, उसी प्रकार विश्व स्तर की कम्पनी को विश्व स्तर की सरकार ही अनुशासित कर सकती है और विश्व स्तर की सरकार तो तभी प्रकट होगी, जब पहले विश्व स्तर की राजनीतिक पार्टियां पैदा हों। विश्व स्तर की पार्टियां तभी पैदा हो पाएंगी जब उनका पंजीकरण हो और वे देशों की राजनीति में दखल न दें। देश स्तर की पार्टियां अगर चाहती हैं कि विश्व स्तर की पार्टियां उनके देशी राजनीति में दखल न दें तो उन्हें यह नसीहत अपने.....जारी